रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 290] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 12, 2014/अग्रहायण 21, 1936
No. 290] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 12, 2014/AGRAHAYANA 21, 1936

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)
अधिसूचना

नई दिल्ली,11 दिसम्बर, 2014

(अंतिम जांच परिणाम)

विषय : रुस के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "पेन्टाइरायथ्रिटाल" के आयातों पर अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा।

सं.14/26/2012-डीजीएडी : समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 और उसके अंतर्गत बने सीमा शुल्क प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 को ध्यान में रखते हुए :

क. मामले की पृष्ठभूमि

2. यत:, मैसर्स कानोरिया कैमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जिसे एतद्पश्चात आवेदक कहा गया है) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे एतद्पश्चात प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष, समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे एतद्पश्चात अधिनियम कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनपर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतद्पश्चात नियमावली कहा गया है) के अनुसार एक विधिवत साक्ष्यांकित आवेदनपत्र रूस (जिसे एतद्पश्चात संबद्ध कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पेन्टाइरायथ्रिटाल (जिसे एतद्पश्चात संबद्ध वस्तु कहा गया है) के पाटन का आरोप लगाते हुए तथा इस प्रकार, संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने और उन पर पाटनरोधी शुल्क का उद्ग्रहण करने के लिए दायर किया है।

3. और यत:, प्राधिकारी ने उपपादित किया कि संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन के तथा घरेलू उद्योग को क्षति और पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंधों के प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य हैं और कथित पाटन एवं घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति की पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 में उल्लिखित निबंधनों के अनुरूप जांच करने और कथित पाटन की मौजूदगी, उसकी मात्रा तथा उसके प्रभाव का निर्धारण करने तथा पाटनरोधी शुल्क की एक ऐसी राशि की सिफारिश करने, जो यदि उद्ग्रहित की गई जो घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी, दिनांक 21 जून, 2013 की अधिसूचना संख्या 14/26/2012-डीजीएडी के तहत एक पाटनरोधी जांच प्रारंभ की।

ख. प्रक्रिया

4. इस जांच में निम्नलिखित वर्णित प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है :

(i) प्राधिकारी में पाटनरोधी नियमावली के अनुसार जांच की कार्रवाई प्रारंभ करने से पहले संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन का आरोप लगाते हुए एक आवेदनपत्र की प्राप्ति के सबंध में भारत में संबद्ध देश की दूतावास को अधिसूचित किया।

(ii) प्राधिकारी ने संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने दिनांक 21 जून, 2013 को भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित एक सार्वजनिक सूचना संख्या 14/26/2012-डीजीएडी जारी की।

(iii) प्राधिकारी ने इस सार्वजनिक सूचना की एक प्रति के साथ एक पत्र सभी ज्ञात निर्यातकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों/उद्योग एसोसिएशनों (जिनके विवरण घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए थे) को प्रेषित की और उन्हें पाटनरोधी नियमावली के अनुसार निर्धारित समय सीमा के अंदर अपने विचारों से लिखित रूप से अवगत कराने का अवसर प्रदान किया।

(iv) प्राधिकारी ने आवेदनपत्र के अगोपनीय पाठ की प्रति पाटनरोधी नियमावली के अनुसार संबद्ध देश में सभी ज्ञात निर्यातकों को उपलब्ध कराई। इस आवेदनपत्र की एक प्रति अनुरोध करने पर अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भी उपलब्ध कराई गई।

(v) संबद्ध देश में निर्यातकों/उत्पादकों को प्रेषित पत्र एवं निर्यातक प्रश्नावलियों की प्रतियां ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों की एक सूची के साथ भारत में संबद्ध देश के राजदूतावास को यह अनुरोध करते हुए प्रेषित की कि वे संबद्ध देश के सभी ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों तथा संबद्ध देश के अन्य निर्यातकों/उत्पादकों को यह सुझाव दें कि वे निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत प्रश्नावलियों का प्रत्युत्तर दें।

(vi) प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के अनुसार संबद्ध देश में जानकारी प्रदान कराने के लिए प्रेषित की :

(क) जेएससी "मेटाफ्रैक्स" रूस, गुबाहा, पर्म क्षेत्र 618250

(ख) रसिया टेक केम कंपनी लिमिटेड, वीओ यूएल कवितान्स्थकाया, 307, सेंट पीटर्सवर्ग-197724, रूसी परिसंघ

(ग) कैमियोलक्स, मास्को, मिलुतिन्स्काई पर 18/3 रूस

(vii) किसी भी निर्यातक ने प्राधिकारी द्वारा निर्धारित स्वरूप और ढंग में निर्यातक प्रश्नावली का प्रत्युत्तर दायर नहीं किया। तथापि, निम्नलिखित ने प्रस्तुतिकरण किए हैं :

(क) ज्वाइंट स्टॉक कंपनी मेटाफ्रैक्स, रूस; और

(ख) रूसी परिसंघ का आर्थिक विकास मंत्रालय, ने भारत गणराज्य में रूसी परिसंघ के व्यापार प्रतिनिधिमंडल के जरिए।

(viii) प्राधिकारी ने इस सार्वजनिक सूचना की एक प्रति संबद्ध वस्तु के भारत में ज्ञात आयातकों/उपयोक्ताओं/उपयोक्ता एसोसिएशनों (जिनके नाम और पते प्राधिकारी को उपलब्ध कराए गए थे) को प्रेषित की और उन्हें यह सलाह दी गई कि वे नियम 6(4) के अनुसार इस पत्र के जारी होने की तारीख से चालीस दिनों के अंदर अपने विचारों से लिखित रूप से अवगत करा दें।

प्रयोक्ता एसोसिएशन

क. इंडियन पेन्ट्स एसोसिएशन, 4, इंडिया एक्सचेंज प्लेस, कलकत्ता

ख. इंडियन रेजिन मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन मार्फत यूनाइटेड इंक एंड वर्निस कपंनी लिमिटेड 37/40 सुभाष रोड, विले पार्ले (ईस्ट) मुंबई

ग. इंडियन स्माल स्केल पेंट एसोसिएशन, 104, शुभम सेंटर नं. 1बी, कार्डिनल ग्रेसियस रोड, चकाला, अंधेरी (पूर्व) मुंबई।

आयातक/प्रयोक्ता

क. एडिसन पेन्ट्स एंड कैमिकल्स लिमिटेड, हुजूर गार्डन, सेम्बियम, चेन्नई, तमिलनाडु
ख. बर्जर पेन्ट्स इंडिया लिमिटेड, एपीजे हाउस, डी. वाचा रोड, मुंबई
ग. सेन्चुरी एन्का लिमिटेड, भक्तावर, नरीमन प्वांइट, मुंबई
घ. सीवा स्पेशियलिटी कैमिकल्स (इंडिया) लिमिटेड, जवरोज अपार्टमेंट्स बी. देसाई मार्ग, मुंबई
ङ. कोट्स आफ इंडिया लिमिटैड, मैग्नम टावर्स, लोखण्डवाला काम्प्लेक्स, मुंबई
च. डेकरो पेन्ट्स, प्लाट नम्बर 154 156, फेज V, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया, जीदीमेटला हैदराबाद
छ. दुजोडवालापेपर कैमिकल्स लिमिटेड ग्राम अटकरगांव, तहसील खालापुर खापोली 410 203 जिला रायगढ़
ज. गार्गी इंडस्ट्रीज प्राप, डी-136, टीटीसी, इंडस्ट्रियल एरिया, बी/एच नाबेल –पेंट्स आफ थाणे, बेलापुर रोड, जिला थाणे, नवी मुंबई
झ. गुडलैस नैरोलक पेंट्स लिमिटेड, नैरोलक हाउस, जी कदम मार्ग, मुंबई
ञ. हार्डकैसल एंड वौड मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, बारबोर्न स्टेडियम, वी. नरीमन रोड, मुंबई
ट. हीरो डाई केम इंडस्ट्रीज, ओम डेयरी महाड नम्बर 3, ब्लॉक 18, 10वां तल, 80 नीपेन्सी रोड, मुंबई
ठ. हिन्दुस्तान इंक्स एंड रेजिन्स लिमिटेड, अपोलो एस्टेट, मोगरा पाडा रोड, मुंबई
ड. आईपीवी लिमिटेड, डी 19, एमआईडीसी इंडस्ट्रियल एरिया, बोयसर, थाणे महाराष्ट्र
ढ. जैनसन एंड निकलसन (आई) लिमिटेड, 225 एजेंसी, बोस रोड, कोलकाता
ण. मित्सु इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मिडास सहार प्लाजा, जेबी नगर, मुंबई
त. पारस डाईज एंड कैमिकल्स, डालामल चैम्बर्स, 17 वी. ठाकरसी रोड मुंबई
थ. रेजिन एंड पिग्मेट्स, प्लाट सं. 13, 14, सेक्टर 11, इंडिस्ट्रियल एरिया, पीष्मपुर, मध्य प्रदेश
द. पर्सटापर्स कैमिकल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, प्रथम पोखरन रोड, आफ ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे वापी
ध. एवीएम सेल्स प्राइवेट लिमिटेड, 4 गणेश चन्द्र एवेन्यू, 7वां तल, कोलकाता
न. अलकान इंटर प्राइजेज, 11ए बहू बाजार स्ट्रीट, कोलकाता
प. कैमि कलर एजेंसी, 12 बोन फील्ड लेन, कोलकाता
फ. ईस्ट कार्प इंटरनेशनल, 28 अमरतल्ला स्ट्रीट कोलकाता
ब. गरवारे पालिएस्टर लिमिटेड, ईडेन हाल, एनीबेसेंट रोड वोर्ली, मुंबई
भ. एच आर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड मुक्ति चैतन्य सीएचएस, सैमुअल स्ट्रीट, मुंबई
म. लियो कैमप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड, आगरा रोड, इंडस्ट्रियल एस्टेट, घाटकोपर मुंबई
य. जमीर डाई कैम, खिमाजी मेथजी एचएसजी, इस्साजी स्ट्रीट, मुंबई
कक. सनमान ट्रेड इमोक्स प्राइवेट लिमिटेड, गुरु गोविंद सिंह इंडस्ट, गोरेगांव, मुंबई
खख. सराफ कैमिकल्स लिमिटेड, 132, एनीबेसेंट रोड, वोर्ली मुंबई
गग. बिग्योर पेंटस प्राइवेट, बीएलके 1, शाहीन अपार्टमेंट मार्वे रोड, मुंबई
घघ. डुजोडवाला पेपर कैमिकल्स लिमिटेड, 907, राहेज सेंटर, 214, नरीमन प्वाइंट, मुंबई
ड.ड. शालीमार पेंट्स लिमिटेड दिनेश शेख लेन, हावण

(ix) किसी भी आयातक/प्रयोक्ता/एसोसिएशन ने प्रश्नावली का प्रत्युत्तर दायर नहीं किया। तथापि, निम्नलिखित ने कुछ प्रस्तुतिकरण किए :

(क) संदीप आर्गनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई
(ख) इंडिया पेंट एंड कोटिंग एसोसिएशन, नई दिल्ली
(ग) भारत साल्वेट एंड कैमिकल कारपोरेशन, नई दिल्ली

(x) वर्तमान समीक्षा की जांच की अवधि (पीओआई) 1 जनवरी, 2012 से 31 दिसम्बर, 2012 तक है। क्षति विश्लेषण के संबंध में प्रवृत्तियों की जांच में वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 और जांच की अवधि को भी शामिल किया जाएगा।

(xi) वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी निदेशालय से अनुरोध किया गया कि वह भारत में, जांच की अवधि सहित, पिछले तीन वर्षों में हुए संबद्ध वस्तु के आयातों का विवरण प्रदान कराए और उक्त सूचना डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त की गई तथा इस जांच के लिए उसी को अपनाया गया।

(xii) उन निर्यातकों, उत्पादकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को, जिन्होंने न तो प्राधिकारी को प्रत्युत्तर दिया और न ही इस जांच से संगत कोई सूचना प्रदान की, उन्हें असहयोगकर्ता हितबद्ध पक्षकार के रूप में माना गया।

(xiii) प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य का अगोपनीय पाठ नियम 6(7) के अनुसार हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए एक खुली फाइल में रखा गया।

(xiv) प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तु की भारत में उत्पादन लागत तथा गैर क्षतिकारी कीमत का निर्धारण करने के लिए अनुबंध-III में विनिर्धारित दिशानिर्देशों के आधार पर घरेलू उत्पादक द्वारा प्रस्तुत सूचना की यथासंभव सीमा तक जांच की है ताकि यह सुनिश्चय किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से न्यूनतर पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

(xv) नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार प्राधिकारी ने 9 सितम्बर, 2014 को आयोजित सार्वजनिक सुनवाई, जिसमें घरेलू उद्योग और उनके प्रतिनिधियों द्वारा ही प्रतिभागिता की गई थीं, में सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा मौखिक रूप से अभिव्यक्त किए गए अपने विचारों को लिखित रूप में प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। मौखिक सुनवाई में अपने विचार व्यक्त करने वाले घरेलू उद्योग से यह अनुरोध किया गया कि वे मौखिक रूप से अभिव्यक्त अपने विचारों की लिखित प्रस्तुतिकरण भी करें।

(xvi) जांच की कार्रवाई के दौरान घरेलू उद्योग तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण तथा प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए प्रस्तुतिकरणों की जांच की गई और उनका इस जांच में समाधान कर दिया गया।

(xvii) प्राधिकारी के अनुरोध पर केंद्रीय सरकार ने जांच पूरी करने की समयावधि 20 दिसम्बर, 2014 तक बढ़ा दी है।

(xviii) घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों एवं सूचना का आवश्यक समझी गई सीमा तक और स्थल सत्यापन किया गया।

(xix) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान कराई गई सूचना की प्राधिकारी द्वारा गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां कही आवश्यक हुआ, गोपनीयता के दावे को स्वीकार कर लिया और ऐसी सूचना को गोपनीय के रूप में माना गया तथा उसका प्रकटन नहीं किया गया। जहां कहीं संभव हुआ वहां हितबद्ध पक्षकारों को यह निदेश दिया गया कि वे गोपनीय आधार पर प्रदान कराई गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय पाठ भी प्रस्तुत करे।

(xx) जहां कही किसी हितबद्ध पक्षकार ने सूचना तक पहुंच की मनाही की है या वर्तमान जांच की कार्रवाई के दौरान आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराई है या जांच में पर्याप्त अवरोध उत्पन्न किया है वहां प्राधिकारी ने इन अनिवार्य तथ्यों को "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर रिकार्ड किया और इन पक्षकारों को असहयोगकर्ता पक्षकार के रूप में माना।

(xxi) पूर्वोक्त नियमावली के नियम 16 के अनुसार इन जांच परिणामों के लिए अनिवार्य समझे गए तथ्यों/आधारों से युक्त एक प्रकटन विवरण का प्रकटन सभी ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 21.10.2014 को किया गया। घरेलू उद्योग तथा विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त प्रकटन पश्चात विवरण प्रस्तुतिकरणों की इस अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना में संगत पाई गई सीमा तक विचार किया गया है।

(xxii) इस अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का प्रतिनिधित्व कर रहा है और प्राधिकारी ने नियमों के अंतर्गत उसे गोपनीय ही माना है।

(xxiii) इस जांच अवधि के लिए अपनाई गई विनिमय दर 1 यूएस डालर = 53.69 रुपए है।

ग. विचाराधीन उत्पाद एवं समान वस्तु का दायरा

ग.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण

5. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण किए गए हैं :-

(i) संबद्ध देश से भारतीय बाजार में पाटित किया जा रहा उत्पाद पेंटाइरायथ्रिटाल है। पेंटाइरायथ्रिटाल एक अकार्बनिक यौगिक है। पदबंध इरायथ्रिटाल यह संकेत करता है कि इसमें चार हाइड्रक्सिल ग्रुप हैं और उपसर्ग "पेंटा" यह संकेत देता है कि इसके मोलिक्यूल में पांच कार्बन एटम हैं।

(ii) पेंटाइरायथ्रिटाल का उत्पादन इलेक्ट्रोडायलसिस प्रथक्करण प्रौद्योगिकी या प्रकार्यात्मक क्रिस्टलीकरण प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके किया जा सकता है। तथापि, इन दोनों प्रौद्योगिकियों द्वारा उत्पादित उत्पादों में कोई खास अंतर नहीं है। पेंटाइरायथ्रिटाल तकनीकी ग्रेड या नाइट्रेशन ग्रेड का हो सकता है। इन दोनों ग्रेडों में प्रमुख अंतर शुद्धता, क्रिस्टल का आकार और क्रिस्टलों की एकरूपता में होता है। इसके अतिरिक्त, तकनीकी ग्रेड के पेंटाइरायथ्रिटाल और नाइट्रेशन ग्रेड के पेंटाइरायथ्रिटाल के बीच कोई वास्तविक अंतर नहीं होता है। दोनों ही ग्रेडों का उत्पादन समान प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। जिस पेंटाइरायथ्रिटाल की शुद्धता 98 प्रतिशत से अधिक और क्रिस्टल गठन बेहतर होता है उसका प्रयोग विस्फोटक उद्योग में किया जाता है और इसलिए इस ग्रेड को वाणिज्यिक बोलचाल में "नाइट्रेशन ग्रेड" के रूप में जाना जाता है। तथापि, नाइट्रेशन ग्रेड के रूप में माने जाने वाले पेंटाइरायथ्रिटाल का प्रयोग अल्काइड रेजिन तथा अन्य उत्पादों (जहां अन्य ग्रेड "तकनीकी ग्रेड" पेंटाइरायथ्रिटाल का प्रयोग किया जाता है) के लिए भी किया जा सकता है। इतना होते हुए ही दोनों ग्रेडों में कोई बड़ा अंतर नहीं है, हालांकि इन दोनों ग्रेडों की कीमत में कुछ अंतर होता है। सामान्यत:, नाइट्रेशन ग्रेड की कीमतें अधिक होती हैं।

(iii) तथापि, उत्पादन प्रक्रिया में अधिकांशत: तकनीकी ग्रेड का उत्पादन किया जाता है। नाइट्रेशन ग्रेड का उत्पादन 2 प्रतिशत से भी कम होता है। जबकि डाय-पेंटाइरायथ्रिटाल का उत्पादन 0.5 प्रतिशत से भी कम होता है। 97 प्रतिशत से अधिक उत्पादन तकनीकी ग्रेड का किया जाता है। इसके अतिरिक्त, आयात प्राथमिकत: तकनीकी ग्रेड में ही किए जाते हैं। डाय-पेंटाइरायथ्रिटाल और पेंटाइरायथ्रिटाल दो अलग-अलग तरह के उत्पाद हैं। डाय-पेंटाइरायथ्रिटाल इस विचाराधीन उत्पाद के दायरे से परे है।

(iv) पेंटाइरायथ्रिटाल का अनुप्रयोग अल्काइडरेजित, रेजिन ईस्टर्स प्लास्टीसाइजर्स, मुद्रण स्याही, सिंथेटिक रबड़, प्लास्टिक्स के लिए स्टैबिलाइजर्स आशोधित ड्राइंग आयल्स, डिटोनेटर्स, विस्फोटकों, औषधों, प्राथमिक तेलों तथा सिंथेटिक लुब्रीकेंट्स के लिए किया जाता है।

(v) घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु तथा संबद्ध देश से निर्यातित संबद्ध वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। दोनों ही भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, प्रकार्यों एवं प्रयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण विपणन एवं वितरण, प्रशुल्क वर्गीकरण आदि जैसे पैरामीटरों के रूप में तुलनीय अभिलक्षण होते हैं। दोनों ही उत्पाद वाणिज्यिक रूप से एवं तकनीकी रूप से प्रतिस्थापनीय है। उपभोक्तागण इन दोनों उत्पादों का प्रयोग अंतरनिमेय रूप से कर सकते हैं।

(vi) जहां तक विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क का संबंध है कि 98 प्रतिशत से अधिक की परिशुद्धता वाले पेंटाइरायथ्रिटाल को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से अलग रखना चाहिए, इस संबंध में यह तर्क दिया जाता है कि घरेलू उद्योग नाइट्रेशन ग्रेड का उत्पादन एवं उसकी आपूर्ति कर रहा है और भारत में आयात भी उसी का किया जा रहा है और इसलिए इसका अपवर्जन किए जाने का कोई औचित्य नहीं है। नाइट्रेशन की अधिकांश मांग की आपूर्ति घरेलू उद्योग द्वारा की जा रही है।

ग.2 उत्पादकों/निर्यातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण

6. चूंकि घरेलू उद्योग नाइट्रेशन ग्रेड के पेंटाइरायथ्रिटाल का केवल 2 प्रतिशत से कम का ही उत्पादन कर रहा है, इसलिए इसे विचाराधीन उत्पाद के दायरे से अलग रखना चाहिए। नाइट्रेशन ग्रेड की शुद्धता 98 प्रतिशत से अधिक होती है। इसलिए, 98 प्रतिशत से अधिक की शुद्धता वाले किसी भी पेंटाइरायथ्रिटाल को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से अलग रखना चाहिए। मोनो पेंटाइरायथ्रिटाल ग्रेड को भी विचाराधीन उत्पाद के दायरे से अलग रखना चाहिए।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

7. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग तथा विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरणों पर विचार किया है और निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला है :

(i) वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद पेंटाइरायथ्रिटाल है। पेंटाइरायथ्रिटाल एक अकार्बनिक यौगिक है। पदबंध इराइथ्रिटाल यह संकेत करता है कि इसमें चार हाइड्रक्सिल ग्रुप हैं और उपसर्ग "पेंटा" यह संकेत देता है कि इसके

मोलिक्यूल में पांच कार्बन एटम हैं। पेंटाइरायथ्रिटाल का अनुप्रयोग अल्काइडरेजित, रोजिन ईस्टर्स प्लास्टीसाइजर्स, मुद्रण स्याही, सिंथेटिक रबड़, प्लास्टिक्स के लिए स्टैबिलाइजर्स आशोधित ड्राइंग आयल्स, डिटोनेटर्स, विस्फोटकों, औषधों, प्राथमिक तेलों तथा सिंथेटिक लुब्रीकेंट्स के लिए किया जाता है। पेंटाइरायथ्रिटाल का उत्पादन इलेक्ट्रोलायसिस प्रथक्करण प्रौद्योगिकी अथवा विखंडन क्रिस्टलीकरण प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके किया जा सकता है। दोनों प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करके उत्पादित उत्पाद के अभिलक्षणों में कोई खास अंतर नहीं होता है। उत्पादित पेंटाइरायथ्रिटाल तकनीकी ग्रेड या नाइट्रेशन ग्रेड का हो सकता है। दोनों ग्रेडों में प्रमुख अंतर शुद्धता, क्रिस्टल के आकार और क्रिस्टलों की एकरूपता में होता है। दोनों ही ग्रेडों का उत्पादन समान प्रक्रिया का प्रयोग करके किया जा सकता है। जिस पेंटाइरायथ्रिटाल की शुद्धता 98 प्रतिशत से अधिक होती है और जिसका क्रिस्टल गठन बेहतर होता है, उसका प्रयोग विस्फोटक उद्योग में किया जा सकता है और इसलिए इस ग्रेड को वाणिज्यिक बोल चाल की भाषा में "नाइट्रेशन ग्रेड के रूप में अभिहित किया जाता है। तथापि, "नाइट्रेशन ग्रेड" के रूप में माने गए पेंटाइरायथ्रिटाल का प्रयोग अल्कायड रेजिनों तथा अन्य उत्पादों (जहां अन्य ग्रेड अर्थात "तकनीकी ग्रेड" के पेंटाइरायथ्रिटाल का प्रयोग किया जाता है) का उत्पादन करने के लिए भी किया जा सकता है। तथापि, उत्पादन प्रक्रिया के परिणामस्वरूप "तकनीकी ग्रेड" का उत्पादन होता है। नाइट्रेशन ग्रेड का केवल 2 प्रतिशत से कम उत्पादन होता है जबकि डाइ-पेंटाइरायथ्रिटाल का उत्पादन 0.5 प्रतिशत से भी कम होता है। 97 प्रतिशत से अधिक उत्पादन तकनीकी ग्रेड का होता है। इसके अतिरिक्त, आयात, प्राथमिकत:, तकनीकी ग्रेड का ही किया जाता है। डाय- पेंटाइरायथ्रिटाल और पेंटाइरायथ्रिटाल इसी उत्पाद के दो भिन्न प्रकार हैं। डाय- पेंटाइरायथ्रिटाल इस विचाराधीन उत्पाद के दायरे से परे है।

(ii) जहां तक विराधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क का संबंध है कि घरेलू उद्योग नाइट्रेशन ग्रेड के पेंटाइरायथ्रिटाल का केवल 2 प्रतिशत से भी कम का उत्पादन करता है, इसलिए इसे विचाराधीन उत्पाद के दायरे से अलग रखना चाहिए। नाइट्रेशन ग्रेड की शुद्धता 98 प्रतिशत से अधिक होती है। इसलिए, 98 प्रतिशत से अधिक की शुद्धता वाले किसी भी पेंटाइरायथ्रिटाल को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से अलग रखा जाना चाहिए। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान कराए गए दस्तावेज की जांच यह दर्शाती है कि पेंटा नाइट्रेशन ग्रेड 98 प्रतिशत है और घरेलू उद्योग 98 प्रतिशत या उससे अधिक की शुद्धता वाले पेंटा नाइट्रेशन ग्रेड का उत्पादन और उसकी बिक्री कर रहा है। चूंकि घरेलू उद्योग 98 प्रतिशत या उससे अधिक की शुद्धता वाले पेंटा की बिक्री कर रही है इसलिए इसका अपवर्जन करने का कोई औचित्य ही नहीं है।

(iii) जहां तक विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क का संबंध है कि मोनो पेंटाइरायथ्रिटाल को भी विचाराधीन उत्पाद के दायरे से अलग रखना चाहिए, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि मोनो पेंटाइरायथ्रिटाल को विगत में भी पाटनरोधी शुल्क की परिधि में रखा गया है। इसके अतिरिक्त, किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने किसी भी ग्रेड का विचाराधीन उत्पाद के दायरे से अपवर्जन करने की जरूरत का कोई औचित्य प्रस्तुत नहीं किया है।

(iv) हितबद्ध पक्षकारों ने यह जानने की इच्छा व्यक्त की कि तकनीकी ग्रेड और नाइट्रेशन ग्रेड का क्रिस्टल का आकार क्या है और उनके क्रिस्टलों में एकरूपता क्या है। घरेलू उद्योग ने स्पष्ट किया है कि उत्पादित पेंटाइरायथ्रिटाल नाइट्रेशन ग्रेड या तकनीकी ग्रेड, किसी भी ग्रेड का हो सकता है। दोनों ग्रेडों में मुख्य अंतर शुद्धता, क्रिस्टल के आकार और क्रिस्टल की एकरूपता में हो सकता है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि तकनीकी ग्रेड और नाइट्रेशन ग्रेड दोनों को ही विगत में की गई पाटनरोधी शुल्क की जांच के दायरे में भी शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त, किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने इस विचाराधीन उत्पाद के दायरे से किसी भी ग्रेड का अपवर्जन करने की जरूरत को न्यायोचित नहीं ठहराया है।

(v) पेन्टाइरायथ्रिटाल का अधिकांशत: प्रयोग अल्कायड रेजिन्स, रेजिन ईस्टर्स, प्लास्टीसाइजर्स, मुद्रण स्याही, सिन्थेटिक रबड़, प्लास्टिक्स के लिए स्टैबिलाइर्जस, आशोधित ड्राइंग आयल्स, डिटोनेटर्स, विस्फोटकों, फार्मास्युटिकल्स, को आयल्स और सिंथेटिक लुब्रीकेन्ट्स का विनिर्माण करने में किया जाता है । पेंटाइरायथ्रिटाल को सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 के अंतर्गत सीमाशुल्क उपशीर्षक संख्या 29054200 के तहत वर्गीकृत किया जाता है। तथापि, यह सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और यह वर्तामान जांच के दायरे पर किसी भी रूप में बाध्यकारी नहीं है।

(vi) समान वस्तु के मुद्दे के संबंध में पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) में समान वस्तु को निम्नवत परिभाषित किया गया है :

"कोई वस्तु जो भारत में पाटित की जा रही जांचाधीन वस्तु के सभी रूपों में समान या समरूप हो या ऐसी वस्तु न होने पर कोई अन्य वस्तु, जो यद्यपि सभी रूपों में एक समान न होने पर भी, उसके अभिलक्षण जांचाधीन उत्पाद के अभिलक्षणों के घनिष्ठता से सादृश्य हो।"

(vii) प्राधिकारी ने इस मामले की जांच की है और वह यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु तथा संबद्ध देश से भारत में आयातित संबद्ध वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु तथा संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तु कई अभिलक्षणों के रूप में जैसे भौतिक एवं रासायनिक अभिलक्षण, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, प्रकार्यों एवं प्रयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा वस्तु के प्रशुल्क वर्गीकरण के रूप में समान है। दोनों ही वाणिज्यिक एवं तकनीकी रूप से प्रतिस्थापनीय है। उपभोक्तागण इन दोनों का ही प्रयोग अंतरनिमेय रूप में कर रहे हैं। किसी भी विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकार ने इस संबंध में कोई मुद्दा नहीं उठाया है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी यह प्रतिपादित करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तु पाटनरोधी नियमावली के अनुसार समान वस्तु है।

घ. घरेलू उद्योग का दायरा एवं आधार

घ.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण

8. घरेलू उद्योग ने घरेलू उद्योग का दायरा एवं आधार के संबंध में निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण किया है :

(i) यह याचिका मैसर्स कानोरिया कैमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा दायर की गई है।

(ii) याचिकाकर्ता के अलावा इस विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन मैसर्स एशियन पेंट्स (इंडिया) लिमिटेड (एशियन पेंट्स) द्वारा किया जा रहा है। यद्यपि, मैसर्स एशियन पेंट्स इस विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करता है तथापि कंपनी ने वर्ष 2011-12 में पेंटाइरायथ्रिटाल के अपने उत्पादन के 52 प्रतिशत की ग्राही खपत की थी। मैसर्स एशियन पेंट्स के उत्पादन की ग्राही खपत को पात्र उत्पादन के रूप में शामिल नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह उत्पादन विदेशी उत्पादकों द्वारा आपूरित पाटित सामग्री या भारतीय उत्पादकों द्वारा की गई बिक्री के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करता है।

(iii) इससे पहले मैसर्स पर्सटार्प कैमिकल्स इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड (पर्सटार्प इंडिया) नामक एक अन्य उत्पादक भी इस विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन कर रहा था। तथापि पर्सटार्प इंडिया का वर्ष 2009-10 से इस उत्पाद का कोई घरेलू उत्पादन नहीं हुआ है।

(iv) न तो मैसर्स एशियन पेंट्स और न ही मैसर्स पर्सटार्प इंडिया को पात्र घरेलू उत्पादक के रूप में माना जा सकता है।

(v) याचिकाकर्ता इस संबद्ध वस्तु का संबद्ध देश से आयात नहीं करता है। इसके अतिरिक्त, इसका संबद्ध देश के संबद्ध वस्तु के किसी निर्यातक या आयातक से कोई संबंध नहीं है।

(vi) आधार के प्रयोजनार्थ, याचिकाकर्ता ने मैसर्स एशियन पेंट्स की ग्राही खपत को शामिल करके तथा उसका अपवर्जन करके दोनों तरह से भारतीय उत्पादन का परिकलन किया है। मैसर्स एशियन पेंट्स को ग्राही खपत को अलग करके कुल भारतीय उत्पादन में याचिकाकर्ता का उत्पादन 70 प्रतिशत बनता है और एशियन पेंट्स की ग्राही खपत को शामिल करके याचिकाकर्ता का उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन का 55 प्रतिशत बनता है। इसलिए, याचिकाकर्ता इन दोनों ही मामलों में घरेलू उद्योग सिद्ध होता है।

(vii) इसलिए याचिकाकर्ता का इस उत्पाद के लिए भारतीय घरेलू उद्योग की ओर से याचिका दायर करने का पर्याप्त आधार है।

(viii) यह तर्क कि यह शिकायत दायर करने का शिकायतकर्ता का कोई औचित्य नहीं बनता है, निराधार है और यह इस संबंध में सुस्थापित विधि तथा परम्परा के विपरीत है। घरेलू उद्योग को नियम 2(ख) के अंतर्गत परिभाषित किया गया है और याचिकाकर्ता उसे संतुष्ट करता है। वास्तव में, हितबद्ध पक्षकारों ने स्वत: यह दावा किया है कि याचिकाकर्ता इस उत्पाद का एकमात्र उत्पादक है, जिसका आशय यह है कि याचिकाकर्ता इस विचाराधीन उत्पाद के लिए घरेलू उद्योग है।

घ.2 उत्पादकों/निर्यातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया प्रस्तुतिकरण

9. शिकायतकर्ता का शिकायत दर्ज करने का कोई औचित्य नहीं है। शिकायतकर्ता भारत में पेंटाइरायथ्रिटाल का उत्पादन करने वाला एकमात्र विनिर्माता है तथा वह उसकी बिक्री भारत में खुले बाजार में करता है। इसलिए यह वाक्यांश "उद्योग" की परिभाषा के अंतर्गत अर्हता प्राप्त नहीं करता है क्योंकि यह भारत में बिक्री के प्रयोजनार्थ एकमात्र विनिर्माता है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

10. प्राधिकारी ने जांच निम्नवत् की गई है

(i) प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी के नियम 2(ख) के तहत घरेलू उद्योग को निम्नवत परिभाषित किया गया है :-

"(ख) "घरेलू उद्योग" का आशय समान वस्तु के विनिर्माण या उससे संबंधित किसी अन्य क्रियाकलाप में समग्र रुप से लगे उन सभी घरेलू उत्पादकों अथवा उन उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उस वस्तु के समस्त घरेलू उत्पादन का एक बड़ा अनुपात बनता हो, सिवाय इसके कि यदि ये उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों अथवा आयातकों से संबंधित हो पाटित वस्तु के निर्यातकों अथवा आयातकों से संबंधित हों अथवा उसके स्वयं आयातक हो तो ऐसे मामलों में वाक्यांश ''घरेलू उद्योग'' को केवल शेष उत्पादकों के रुप में माना जाएगा।"

(ii) यह याचिका कानोरिया कैमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जिसे एतद्पश्चात् "आवेदक" कहा गया है) द्वारा दायर की गई है। यह कंपनी भारत में इस विचाराधीन उत्पाद की उत्पादक हैं और उसने जांच की अवधि के दौरन संबद्ध देश से इस उत्पाद का आयात नहीं किया है। इसका संबद्ध देश में किसी उत्पादक या भारत में किसी आयातक से कोई संबंध नहीं है।

(iii) आवेदक के अलावा भारत में इसके समान वस्तु का निर्माण मैसर्स एशियन पेंट्स (इंडिया) लिमिटेड द्वारा (जिसे एतद्पश्चात एशियन पेंट्स कहा गया है) किया जाता है। आवेदक ने दावा किया है कि ग्राही और व्यापारी बाजारों दोनों ही अलग-अलग बाजार हैं और पाटित आयात उत्तरवर्ती बाजार में ही आता है। यह दावा किया गया है कि ग्राही उत्पादक, जहां तक ग्राही उत्पादन का संबंध है, पाटित सामग्री के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं। पुन: यह दावा किया गया है कि पर्सटार्प कैमिकल्स इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड (जिसे एतद्पश्चात "पर्सटार्प इंडिया" कहा गया है), जिसकी क्षमता पेंटाइरायथ्रिटाल का उत्पादन करने की है, परंतु वह इस समय उसका उत्पादन नहीं कर रहा है।

(iv) प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह निश्चय करना जरूरी नहीं है कि घरेलू उद्योग के दायरे में शामिल किया गया मैसर्स एशियन पेंट्स पात्र है या नहीं, क्योंकि आवेदक का उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, चाहे उसमें मैसर्स एशियन पेंट्स के ग्राही उत्पादन को शामिल किया जाए या नहीं। पर्सटार्प इंडिया के संबंध में यह नोट किया जाता है कि उपलब्ध सूचना के अनुसार कंपनी ने जांच की अवधि के दौरान इस विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन नहीं किया है और इसलिए उसे घरेलू उद्योग के दायरे के अंतर्गत शामिल करने के लिए पात्र नहीं माना जा सकता है।

(v) यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि में आवेदक का उत्पादन, ग्राही प्रयोग के लिए किए गए उत्पादन का अपवर्जन कर देने के पश्चात, कुल भारतीय उत्पादन का 71.54 प्रतिशत बनता है। यदि ग्राही उत्पादन को शामिल कर लिया जाए तो उत्पादन में आवेदक का हिस्सा 54.68 प्रतिशत बनता है।

(vi) इस मामले की जांच करने के पश्चात यह नोट किया जाता है कि आवेदक का उत्पादन (एशियन पेंट्स द्वारा किए गए ग्राही उत्पादन का अपवर्जन और अंतरावेशन किए जाने के पश्चात दोनों रूपों में) कुल भारतीय उत्पादन का एक बड़ा अनुपात बनता है और इसलिए आवेदक को नियमावली के आशय के अंतर्गत घरेलू उद्योग के रूप में माना गया है। तथ्यों की जांच करने के पश्चात, प्राधिकारी यह निर्धारित करने का प्रस्ताव करते हैं कि आवेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के आशय के अंतर्गत घरेलू उद्योग है और यह याचिका नियमावली के नियम 5 में उल्लिखित निबंधनों के अनुरूप आधार के मानदंड को पूरा करती है।

ड. पाटन का आकलन – क्रियापद्धति एवं प्राचल

ड.1 सामान्य मूल्य – निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन

11. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि रूस के किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने विहित स्वरूप और ढंग से निर्यातक प्रश्नावली दायर करके इस जांच शुरूआत अधिसूचना का कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया है। तथापि, मैसर्स जेएससीस मेटाफ्रैक्स ने संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण किया है।

ड.2 घरेलू उद्योग के विचार

12. जेएससी मेटाफ्रैक्स ने विहित स्वरूप और ढंग से प्राधिकारी के साथ सहयोग नहीं किया है। केवल रूस में प्रचालित कीमतों या निर्यातक की उत्पादन लागत के संबंध में प्रस्तुतिकरण कर देना पूर्णत्या तब तक अर्थहीन है जब तक निर्यातक विहित स्वरूप और ढंग में निर्यात प्रश्नावली में प्रत्युत्तर दायर नहीं करता है और वह अपने आंकड़ों का सत्यापन करने में सहयोग नहीं करता है। निर्यातक ने यह प्रभाव छोड़ने का प्रयास किया है कि संपूर्ण अवधि के दौरान इस उत्पाद की कीमत समान बनी रही। लागत निर्धारण सूचना के साथ संलग्न प्ररूप-ड. दर्शाता है कि इस विचाराधीन उत्पाद की कीमतों में जांच की मौजूदा अवधि में भारी उतार-चढ़ाव रहा है, इस प्रकार, यह इस अवधि के दौरन स्थिर कीमत न होने को स्पष्टत: सिद्ध करता है।

माह	**मात्रा**	**एनएसआर**
	एमटी	**रुपए/एमटी**
जनवरी-12	***	***
फरवरी-12	***	***
मार्च-12	***	***
अप्रैल-12	***	***
मई-12	***	***
जून-12	***	***
जुलाई-12	***	***
अगस्त-12	***	***
सितम्बर-12	***	***
अक्तूबर-12	***	***
नवम्बर-12	***	***
दिसम्बर-12	***	***
कुल	***	***

13. रूस की बाजारों में बिक्री कीमत को तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता है जब तक कि यह स्पष्ट न हो जाए कि नियमावली के अनुबंध-1 के प्रावधानों के अनुसार, वह उत्पादन लागत से अधिक है। लाभप्रद बिक्रियों का यह विश्लेषण निर्यातक देश की घरेलू बाजार में निर्यातक की बिक्री बीजक द्वारा बीजक में किया जाना आवश्यक है। यह उल्लेख करना भी संगत है कि उत्पादन लागत भी विहित स्वरूप और विशिष्ट ढंग में प्रदान किया जाना अपेक्षित होता है और निर्दिष्ट प्राधिकारी को स्वयं यह संतुष्ट करना अपेक्षित होता है कि निर्यातक द्वारा दावा की गई उत्पादन लागत निर्यातक राष्ट्र के लेखाकरण मानकों के अनुरूप है और वह विचाराधीन उत्पाद की बिक्री और उसके उत्पादन से जुड़ी लागत को तर्कसंगत रूप से प्रदर्शित करता है। यदि कोई कंपनी बहु उत्पाद कंपनी है तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या लागत आकलन तर्कसंगत एवं उपयुक्त है, व्यापक जांच करना अपेक्षित होता है। यह एक व्यापक तौर पर ज्ञात तथ्य है किसी ऐसे सहयोगकर्ता निर्यातक के लिए पाटन मात्रा का निर्धारण करना

एक बहुत व्यापक कार्य होता है जिसने रूस में बिक्री कीमत तथा निर्यातक की उत्पादन लागत के लिए कुछ ऋणात्मक संख्याओं को प्रतिस्थापित करके वास्तविक तथ्यों को दबाने का प्रयास किया गया हो।

14. चूंकि निर्यातक ने प्रश्नावली का प्रत्युत्तर निर्धारित प्रपत्र और रीति में प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर नहीं किया है, और उसने अपने आंकड़ों का सत्यापन करने के लिए सहयोग नहीं किया है इसलिए निर्यातक अपने सामान्य मूल्य या निर्यात कीमत या पाटन मात्रा का दावा करने का हकदार नहीं है। वास्तव में, निर्यातक संपूर्ण प्रश्नावली प्रत्युत्तर दिए बिना व्यक्तिगत पाटन मार्जिन का दावा भी नहीं कर सकता है। अत:, यह तर्क दिया जाता है कि प्राधिकारी प्रश्नावली प्रत्युत्तर के बिना जेएससी मेटाफ्रैक्स के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण भी नहीं कर सकते हैं ।

15. रूस के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने प्रश्नावली का प्रत्युत्तर दायर नहीं किया है। याचिकाकर्ता ने संबंधित उत्पाद की रूस की घरेलू बाजार में कीमत का साक्ष्य प्राप्त करने और प्रकाशित स्रोतों से कीमत का साक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास किया है। तथापि, वह सार्वजनिक तौर पर संगत जानकारी प्राप्त न होने के कारण रूस की घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु के उत्पादकों की कीमत सूची या कुटेशन जैसी सूचना/साक्ष्य प्राप्त करने में अक्षम रहे और इसलिए, उन्होंने रूस से आयातों के मामले में घरेलू उद्योग के खपत मानकों और कच्चे माल की कीमतों, रूस में विद्युत की प्रचलित कीमतों, और संपरिवर्तन लागत के प्राक्कलनों, बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक, व्यय तथा तर्कसंगत लाभ मार्जिन के आधार पर विनिर्मित की है।

ड.3 आयातों/निर्यातों तथा अन्य विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों के विचार

16. मैसर्स जेएससी मेटाफ्रैक्स ने यह तर्क दिया है कि वर्ष 2012 में पेंटाइरायथ्रिटाल का उनका कुल उत्पादन 22,500 मीट्रिक टन रहा है। जिसमें से लगभग 10,500 मीट्रिक टन की बिक्री घरेलू बाजार में की गई तथा 12000 मीट्रिक टन का 17 देशों को निर्यात किया गया। वर्ष 2012 में भारत को पेंटाइरायथ्रिटाल का 1275 मीट्रिक टन का निर्यात किया गया जो पेंटाइरायथ्रिटाल के कुल निर्यात का केवल 10.6 प्रतिशत है। पेंटाइरायथ्रिटाल के उत्पादन की फैक्टरी बाह्य लागत 42,250.00 रूबल/मीट्रिक टन है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने यह तर्क मीडिया कि रूस में पेंटाइरायथ्रिटाल की बिक्री उत्पादन लागत जमा लाभ से अधिक कीमत पर की गई। रूस में पेंटाइरायथ्रिटाल की भारित औसत बिक्री कीमत सामान्य वर्षों के दौरान भारित औसत उत्पादन लागत से कम नहीं है। पेंटाइरायथ्रिटाल की रूस में सामान्य बिक्री कीमत 55,500.00 रूबल प्रति मीट्रिक टन है। इसमें उत्पादन लागत, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय, लाभ और 18 प्रतिशत वैट शामिल है।

17. निर्यातक ने पुन: यह तर्क दिया है कि पेंटाइरायथ्रिटाल की भारत को निर्यात कीमत वर्ष 2012 के दौरान 47,150.00 रूबल प्रति मीट्रिक टन थी। किसी भी रूप में, पेंटाइरायथ्रिटाल की निर्यात कीमत इसकी उत्पादन लागत से कम नहीं है। रूस के विनिर्माताओं द्वारा पेंटाइरायथ्रिटाल का भारत में कोई पाटन नहीं किया गया है।

18. आयातकों द्वारा यह तर्क भी दिया गया कि याचिकाकर्ता रूस की घरेलू बाजार में प्रचलित कीमत (सामान्य कीमत) के संबंध में कोई भी साक्ष्य देने में असफल रहा है जिससे कि पाटन का मामला बनता हो। अधिक संक्षेप में, सामान्य कीमत की उपलब्धता न होने तथा भारत की घरेलू बाजार में विनिर्मित एवं बिक्रीकृत संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य की तुलना न होने पर, कोई मामला बनता ही नहीं है।

ड.5 उत्पादकों एवं निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण

19. विधि के अंतर्गत किए उपबंध के अनुरूप; प्राधिकारी को रूस में सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए रूस की घरेलू बाजार में खपत के आशय से उत्पाद की बिक्री कीमत पर विचार करना अपेक्षित होता है। आवेदन ने यह प्रस्तुतिकरण किया कि रूस की घरेलू बाजार में प्रचलित वास्तविक बिक्री कीमत का कोई साक्ष्य नहीं है। रूस के किसी भी निर्यातक ने प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर करके प्राधिकारी के साथ सहयोग नहीं किया है। इस संबंध में मैसर्स जेएससी मेटाफ्रैक्स द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण साक्ष्यों द्वारा प्रमाणित नहीं हैं। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि रूस के उत्पादक द्वारा विहित प्रपत्र और नीति में किसी प्रत्युत्तर के अभाव में सामान्य मूल्य का निर्धारण रूस में उत्पादक के प्रश्नावली प्रत्युत्तर के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। इसलिए, प्राधिकारी ने प्रमुख कच्चे माल मेथनाल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत, उत्पादन लागत के प्राक्कलनों, बिक्री सामान्य एवं प्रशासनिक लागत तथा लाभ को शामिल करते हुए विधिवत समायोजन करने के पश्चात, पर विचार करते हुए सामान्य मूल्य विनिर्मित किया है। इस तरह निर्धारित सामान्य मूल्य पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

ड.6 उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण

20. चूंकि संबद्ध देश के किसी भी निर्यातक ने प्राधिकारी को पूर्ण एवं विधिवत साक्ष्यांकित प्रश्नावली प्रत्युत्तर देकर सहयोग नहीं किया है, इसलिए प्राधिकारी ने रूस से किए जाने वाले आयातों के संबंध में निर्यात कीमत का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध सर्वोत्तम जानकारी के आधार पर किया है। आवेदक ने भारत में इस विचाराधीन

उत्पाद की निर्यात कीमत का निर्धारण, आईबीआईएस, आंकड़ों की आपूर्ति करने वाली एक एजेंसी, द्वारा रिपोर्ट किए गए आंकड़ों के आधार पर किया है। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने खेंपवार आयात आंकड़े डीजीसीआई एंड एस से प्राप्त किए हैं। यह देखा जा सकता है कि डीजीसीआई एंड एस तथा आईबीआईएस दोनों द्वारा रिपोर्ट की गई आयातों की कीमत और मात्रा तुलनीय हैं। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने डीजीसीआई एंड एस से प्राप्त आंकड़ों पर विचार किया है और निर्यात कीमत का निर्धारण भारत में इस विचाराधीन उत्पाद के सभी आयातों पर विचार करते हुए किया है। रूस स्थित निर्यातकों से किसी भी प्रकार के असहयोग को ध्यान में रखते हुए आवेदक घरेलू उद्योग द्वारा किए गए दावों के आधार पर कीमत समायोजन किया गया है। इस तरह फैक्टरी बाह्य स्तर पर निर्धारित निर्यात कीमत अधोलिखित पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

ड.7 पाटन मार्जिन

21. ऊपर यथानिर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए पाटन मार्जिन का निम्नवत निर्धारण किए जाने का प्रस्ताव किया जाता है। यह देखा जा सकता है कि पाटन मार्जिन न्यूनतम से अधिक तथा पर्याप्त है।

पाटन मार्जिन तालिका

सामान्य मूल्य	यूएस डालर/एमटी	***
निर्यात कीमत	यूएस डालर/एमटी	***
पाटन मार्जिन	यूएस डालर/एमटी	***
पाटन मार्जिन	%	***
पाटन मार्जिन %	रेंज	30-40

च. क्षति का आकलन एवं कारणात्मक संबंधों की जांच

क्षति

च.1 घरेलू उद्योग के विचार

22. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण किया है :

(क) मांग ने, ग्राही खपत का अपवर्जन करते हुए एवं अंतरावेशन करते हुए, दोनों तरह से, भारी मात्रा में सतत वृद्धि की प्रवृत्ति प्रदर्शित की है।

(ख) रूस से संबद्ध वस्तु के आयात में, आधार वर्ष की तुलना में भारी मात्रा में वृद्धि हुई है। सऊदी अरेबिया, जिसके विरुद्ध पाटनरोधी जांच दिनांक 8 नवम्बर, 2013 को समाप्त कर दी गई, से आयातों तथा चाइनीज ताइपेई, जिसके विरुद्ध प्राधिकारी ने निर्णायक समीक्षा जांच प्रारंभ की है, से आयातों में वृद्धि हुई है। अन्य देशों, जिन पर पाटनरोधी शुल्क लगा है (चीन जन.गण. और स्वीडन को छोड़कर ईयू) से आयातों में जांच की अवधि के दौरान गिरावट आई है।

(ग) वर्ष 2009-10 में रूस से कोई आयात नहीं हुआ। वर्ष 2010-11 से तुलना करने पर जांच की अवधि में भारत में इस उत्पाद के उत्पादन तथा खपत ने और भारत में संबद्ध वस्तु के आयातों में भारी वृद्धि हुई है।

(घ) जांच की अवधि में तथा विगत वर्ष में भारी कीमत अधोरदन हुआ है।

(ङ) आयातों की उतराई कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत की तुलना में बहुत कम है। यद्यपि, इस अवधि में उत्पादन लागत और बिक्री कीमत दोनों में ही वृद्धि हुई है फिर भी बिक्री कीमत में वृद्धि उत्पादन लागत में हुई वृद्धि की तुलना में कम है।

(च) यद्यपि जांच की अवधि के दौरान उत्पादन में मामूली सी वृद्धि हुई, परंतु क्षमता उपयोग में गिरावट आई। वर्ष 2009-10 में हुई घरेलू बिक्री मात्रा की तुलना में जांच की अवधि के दौरान गिरावट आई।

(छ) रूस तथा अन्य मौजूदा स्रोतों से संबद्ध वस्तु के आयातों में वृद्धि होने के कारण घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है।

(ज) घरेलू उद्योग वर्ष 2009-10 से घाटे में चल रहा है। जांच की अवधि के दौरान यह घाटा बहुत अधिक रहा। आयातों का भारत में लागत से काफी कम कीमत पर प्रवेश हो रहा है। आधार वर्ष और विगत वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में प्रति यूनिट बिक्री लागत में बहुत अधिक वृद्धि हो गई। तथापि, इस उत्पाद की यूनिट बिक्री लागत,

प्रतियूनिट बिक्री कीमत की तुलना में बहुत अधिक थी जिससे संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान, लाभप्रदता पर भारी प्रभाव पड़ा।

(झ) इस अवधि के दौरान नकद लाभ में तीव्रता से इस हद तक गिरावट आई कि आधार वर्ष से ही नकद घाटा होने लगा। नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ में भी आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान भारी गिरावट आई।

(ञ) आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की मालसूची में भारी वृद्धि हुई और विगत वर्ष की तुलना में तो इसमें वृद्धि और भी ज्यादा हुई।

(ट) घरेलू उद्योग की उत्पादकता में सुधार होता गया परंतु उत्पादन में वृद्धि की दर में गिरावट आई है। तथापि, उत्पादकता में वृद्धि की इस भावना के बावजूद घरेलू उद्योग को जांच की अवधि में वित्तीय घाटा हुआ है।

(ठ) पाटनर के अलावा कोई अन्य कारक ऐसे नहीं है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति कारित हो रही हो। संबद्ध देश के अलावा भारत में कतिपय अन्य देशों से भी आयातों का प्रवेश होता रहा है परंतु इस पर पहले से ही या तो पाटनरोधी शुल्क लगा है या वे जांचाधीन हैं। किसी भी अन्य देशों से आयात न्यूनतम मात्रा से कम है। इस उत्पाद की मांग में वृद्धि होती रही है। खपत की प्रणाली टेक्नालोजी व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रियाओं या प्रतिस्पर्धा की शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं आया जिससे क्षति कारित हुई हो। घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन ने दावाकृत क्षति कारित नहीं करती है।

(ड) चूंकि आयात घरेलू उद्योग की कीमतों का अधोरदन कर रहे है इसलिए रूस से पाटित आयातों तथा घरेलू उद्योग को कारित की जा रही वास्तविक क्षति के बीच कारणात्मक संबंध है।

(ढ) जहां तक मांग आपूर्ति अंतराल के मुद्दे का संबंध है, यह तर्क दिया गया है कि यद्यपि इस उत्पाद के लिए भारी मांग आपूर्ति अंतर था फिर भी यह एक सोची-समझी परम्परा और सुस्थापित सिद्धांत है कि मांग आपूर्ति अंतराल का आशय यह नहीं है कि पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण नहीं किया जा सकता है।

(ण) जहां तक इस तर्क का संबंध है कि याचिकाकर्ता ने बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का उपशमन करने का प्रयास किया है, यह तर्क प्राधिकारी द्वारा संगत रूप से समुन्नत स्थिति से बिल्कुल विपरीत है कि पाटनरोधी शुल्क का प्रयोजन सामानयत- पाटन की अनुचित व्यापार प्रक्रियाओं द्वारा कारित क्षति का उपशमन करना है जिससे कि भारतीय बाजार में मुक्त एवं उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति पुनस्थापित हो सके जो देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने से संबद्ध देश से होने वाले आयातों पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा और इसलिए इससे उपभोक्ताओं को इस उत्पाद की उपलब्धता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके अतिरिक्त, शुल्क का अधिरोपण अनुचित व्यापार प्रक्रिया का प्रशमन करेगा तथा उसका सृजन नहीं करता है।

(त) जहां तक इस तर्क का संबंध है कि भारत में विनिर्मित तथा घरेलू बाजार में बेची गई संबद्ध वस्तु की सामान्य कीमत की अनुपलब्धता तथा संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य की अतुलनात्मकता होने की स्थिति में, कोई भी मामला नहीं बनता है और यह तर्क दिया जाता है कि यह मुद्दे का अच्छी तरह निस्तारण कर दिया गया है। याचिकाकार्त ने सर्वोच्च उपलब्ध सूचना प्रदान की है। रूस के किसी भी उत्पादक ने विहित प्रपत्र और रीति में सूचना प्रदान नहीं की है। हितबद्ध पक्षकार यह दर्शाने में समर्थ नहीं हुए हैं कि रूस में सामान्य मूल्य के संबंध में कुछ सूचना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध थी और याचिकाकर्ता ने उसकी अनदेखी कर दी है।

(थ) सऊदी अरेबिया से होने वाले आयात रूस की आयात कीमत की तुलना में उच्चतर कीमत पर हो रहे हैं। प्राधिकारी द्वारा सऊदी अरेबिया के संबंध में आयोजित की गई जांच स्पष्टत: यह स्थापित करती है कि सऊदी अरेबिया से किए गए आयात अपाटित कीमतों पर थे। इसके अतिरिक्त, निर्यातक प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर न किए जाने की स्थिति में याचिकाकर्ता द्वारा प्रदान कराई गई सूचना पर विश्वास करना पड़ा जो रूसी आयातों द्वारा कि कारित किए जा रहे भारी कीमत अधोरदन को स्पष्टत: दर्शाता है।

(द) प्राधिकारी को घरेलू उद्योग को निष्पादन के संबंध में विचाराधीन उत्पाद पर ही विचार करना अपेक्षित था, न कि कंपनी के सभी उत्पादों के निष्पादन पर विचार करना। याचिकाकर्ता द्वारा प्रदान कराई गई सूचना स्पष्टत: यह दर्शाती है कि कई बड़े क्षति पैरामीटरों के संबंध में घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन में गिरावट आई है।

(ध) लागत वृद्धि के साथ-साथ कीमत वृद्धि को भी देखा जाना अपेक्षित है। यह देखा जा सकता है कि इस उत्पाद की कीमत में हुई वृद्धि उत्पादन लागत में हुई वृद्धि की तुलना में बहुत कम है। उत्पादन लागत में यह वृद्धि इनपुट लागत में वृद्धि के कारण हुई है और इसलिए याचिकाकर्ता की यह विधिक प्रत्याशा है कि वह अपने उत्पाद की कीमत में

उत्पादन लागत में हुई वृद्धि के अनुरूप ही वृद्धि करे। तथापि, याचिकाकर्ता उत्पादन लागत में हुई वृद्धि के अनुरूप अपने उत्पाद की कीमत में वृद्धि करने में सक्षम नहीं हुआ, इसलिए उसकी लाभप्रदता में गिरावट ऐसी स्थिति तक आ गई जहां याचिकाकर्ता को अब भारी वित्तीय घाटा, नकद घाटा तथा निवेश पर ऋणात्मक प्रतिलाभ सहन करना पड़ रहा है।

(न) यह तर्क निराधार है कि रूस से संबद्ध वस्तु के भारत को होने वाले आयात भारत में इस वस्तु की मांग की तुलना में बहुत कम हैं। रूस से आयात कीमत घरेलू कीमतों का अधोरदन कर रही है और इसलिए घरेलू उद्योग को क्षति के रूप में कीमत अधोरदन कारित कर रही है।

प. घरेलू उद्योग के निष्पादन में लाभ, नकदी प्रवाह और निवेश पर प्रतिलाभ के संबंध में वास्तविक रूप से गिरावट आई है।

फ. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्राधिकारी के समक्ष किए गए प्रस्तुतिकरणों में कोई सार नहीं हैं। इसके अतिरिक्त उपर्युक्त प्रस्तुतिकरणों और इससे पूर्ववर्ती समय में किए गए प्रस्तुतिकरणों को ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग यह प्रस्तुत करता है कि इस जांच से यह स्पष्टत: सिद्ध होता है कि :

(i) संबद्ध देश से भारत को इस विचाराधीन उत्पाद का निर्यात पाटित कीमतों पर किया जा रहा है।

(ii) जांच की अवधि में पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन होने ही पर्याप्तत: सकारात्मक रहे हैं।

(iii) पाटन के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति सहन करनी पड़ी है।

(iv) पाटन मार्जिन एवं क्षति मार्जिन के अनुसार निर्णायक पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित किया जाना अपेक्षित है।

(v) इस शुल्क का रूप नियत प्रमात्रा के रूप में रखा जाना अपेक्षित है।

च.2 विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों के विचार

23. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति के संबंध में निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण किए हैं :

(क) याचिकाकर्ता की संबद्ध वस्तु की उत्पादन क्षमता लगभग 6000 एमटी/वार्षिक है जबकि भारत में औद्योगिक आवश्यकता लगभग 22000 एमटी/वार्षिक है। इससे मांग एवं आपूर्ति की स्थिति में भारी अंतराल उपस्थित हो जाता है जिसका पेंट एवं रेजिन उद्योग के वाणिज्यिक हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

(ख) शिकायतकर्ता ने संबद्ध वस्तु के बारे में बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का उपशमन करने और संबद्ध वस्तु का विनिर्माण एवं उसकी ब्रिकी के संबंध में एकाधिकार सृजित करने का प्रयास किया हैं जो प्रतिस्पर्धा रोधी एवं अनुचित व्यापार परम्परा जैसा है।

(ग) सऊदी अरेबिया और रूस से आयात लगभग समान कीमतों पर ही हो रहे हैं, हालांकि रूस से लगने वाला भाड़ा सऊदी अरेबिया से लगने वाले भाड़े की तुलना में वस्तु अधिक है। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता भारत में समान उतराई कीमत पर भी बिक्री कर रहा है तो ऐसी स्थिति में इसे कीमत अधोरदन कैसे कहा जा सकता है।

(घ) भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में रूस से आयातित संबद्ध वस्तु द्वारा कोई भारी कीमत अधोरदन नहीं किया गया है। रूस से आयातों की उतराई कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम नहीं है। उद्योग के बाजार हिस्से में कोई गिरावट नहीं आई है। वस्तुत:, घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में विगत कुछ वर्षों से निरंतर वृद्धि हो रही है।

(ङ) मनीकंट्रोल काम के पोर्टल पर उपलब्ध सूचना के अनुसार शिकायतकर्ता का अपवर्जन करते हुए तथाकथित "घरेलू उद्योग" के निवल लाभ ने बिक्री, निवल लाभ और लाभप्रदता के रूप में भारी वृद्धि प्रदर्शित की है। अत:, रूस से संबद्ध वस्तु के आयातों के कारण घरेलू उद्योग के लाभ और निवेश पर प्रतिलाभ के संबंध में कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

(च) घरेलू उद्योग अपनी कीमतें पर्याप्तत: बढ़ाने में सफल रहा है। कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि के कारण पेंट उद्योग की हालत खराब है।

(छ) संबद्ध वस्तु का रूस से भारत को आयात भारत में मांग की तुलना में काफी अल्प मात्रा में है।

(ज) शिकायतकर्ता के उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग में पिछले चार वर्षों के दौरान भारी वृद्धि एवं सुधार हुआ है। इसी तरह विगत 4 वर्षों के दौरान कर पूर्व लाभ, नकद लाभ तथा निवेश पर प्रतिलाभ में भी भारी वृद्धि प्रदर्शित हुई है।

(झ) घरेलू उद्योग का पेंटाइरायथ्रिटाल संयंत्र प्रदूषण की समस्या से ग्रस्त है। प्रदूषण विभाग संयंत्र को बंद कर रहा है।

(ञ) वर्ष के दौरान घरेलू उद्योग की प्रारक्षितियां एवं बेशी, सतत प्रचालनों से कर-पूर्व लाभ/प्रचालन क्रियाकलापों से नकद लाभ, प्रतिशेयर अर्जन, आपवादिक एवं असाधारण मदों एवं के पूर्व लाभ, असाधारण मदों एवं कर-पूर्व लाभ, करपूर्व लाभ, लाभ में वास्तव में सुधार हुआ है।

च. प्राधिकारी द्वारा जांच

24. इस संबंध में घरेलू उद्योग तथा अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा किए गए विभिन्न पर विचार करने के पश्चात प्राधिकारी ने संबद्ध देश से आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वर्तमान क्षति के संबंध में कार्रवाई की।

25. अनुबंध-II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम 11 में प्रावधान है कि किसी क्षति निर्धारण में उन सभी कारकों की जांच अंतर्ग्रस्त होगी जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति का संकेत मिलता हो। ".....पाटित आयातों की मात्रा, घरेलू बाजार में समान वस्तु के लिए कीमतों पर उनके प्रभाव, और इन वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत कारकों पर विचार करते हुए ....." कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते हुए यह जांच करना आवश्यक प्रतीत होता है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमतों की तुलना में पाटित आयातों द्वारा भारी कीमत अधोरदन किया गया है या क्या इन आयातों का प्रभाव उन कीमतों का भारी मात्रा में अवमंदन करना या कीमतों में वृद्धि को कम करना है जो अन्यथा भारी मात्रा में हुई होती।

26. भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए प्रमुख नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार उन संकेतकों की जांच की गई जिनका घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, स्टाक लाभप्रदाता, निवल बिक्री प्रापण, पाटन मार्जिन एवं मात्रा आदि।

27. वर्तमान क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग पर संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों की मात्रा एवं कीमत प्रभाव की जांच की तथा पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंधों तथा क्षति की मौजूदगी की जांच करने के लिए कीमत एवं लाभप्रदता पर इसके प्रभाव की जांच की। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति की जांच मैसर्स कानोरिया कैमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो नियमों के अंतर्गत घरेलू उद्योग है, से संबंधित सूचना पर विचार करते हुए की है। तदनुसार, पाटित आयातों की मात्रा एवं कीमत प्रभाव की जांच निम्नवत की गई है :

च. 4 पाटित आयातों का मात्रा प्रभाव एवं घरेलू उद्योग पर इसका प्रभाव

क) मांग एवं बाजार हिस्सा

28. घरेलू उद्योग ने भारत में इस उत्पाद की मांग या स्पष्ट खपत का निर्धारण भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री तथा भारत में सभी स्रोतों से संबद्ध वस्तु का आयात, एशियन पेंट्स द्वारा ग्राही खपत को शामिल करके और अलग करके दोनों रूपों में, को जोड़कर की है। इस तरह आकलित मांग को अधोलिखित तालिका में ग्राही उत्पादन को अलग एवं शामिल करते हुए देखा जा सकता है। यह देखा जाता है कि देश में इस विचाराधीन उत्पाद की मांग वर्ष 2011-12 तक बढ़ी है और फिर जांच की अवधि में इसमें हल्की सी गिरावट आई है। तथापि इस मांग में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। यद्यपि घरेलू उद्योग की बिक्री में क्षति अवधि के दौरान गिरावट आई, वही संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयात 2010-11 में शुरू हुई और जांच की अवधि तक इसमें वृद्धि हुई।

विवरण	**यूनिट**	2009-10	2010-11	2011-12	**जांच की अवधि***
घरेलू उद्योग की वृद्धि	एमटी	6,725	6,629	6,518	6,327
अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री	एमटी	4,549	5,400	5,400	5,400
आयात चाइनीज ताइपेई (एसएसआर)	एमटी	2,507	1,223	1,641	1,895
आयात – रूस (चालू)	एमटी	0	300	900	1,153
अन्य देश जिन पर पाटनरोधी शुल्क लगा है	एमटी	7,643	5,700	4,524	1,908
अन्य देश	एमटी	1,167	6,362	7,784	10,001
कुल मांग	एमटी	22,592	25,614	26,766	26,684

बाजार हिस्सा					
घरेलू उद्योग	%	29.77	25.88	24.35	23.71
अन्य भारतीय उत्पादक	%	20.14	21.08	20.17	20.24
आयात – ताइपेई (एसएसआर)	%	11.10	4.77	6.13	7.10
आयात- रूस (सतत)	%	-	1.17	3.36	4.32
अन्य देश जिन पर पाटनरोधी शुल्क लगा है	%	33.83	22.25	16.90	7.15
अन्य देश	%	5.16	24.84	29.08	37.48

*जांच की अवधि – जनवरी, 2012 – दिसम्बर, 2012

भारत में मांग एवं बाजार हिस्सा (ग्राही खपत के अलावा)

विवरण	**यूनिट**	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**	**जांच की अवधि***
घरेलू उद्योग की वृद्धि	एमटी	6,725	6,629	6,518	6,327
अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री	एमटी	2,125	2,509	2,592	2,592
आयात चाइनीज ताइपेई (एसएसआर)	एमटी	2,507	1,223	1,641	1,895
आयात – रूस (चालू)	एमटी	0	300	900	1,153
अन्य देश जिन पर पाटनरोधी शुल्क लगा है	एमटी	7,643	5,700	4,524	1,908
अन्य देश	एमटी	1,167	6,362	7,784	10,001
कुल मांग	एमटी	20,168	22,723	23,958	23,876
बाजार हिस्सा					
घरेलू उद्योग	%	33.35	29.17	27.20	26.50
अन्य भारतीय उत्पादक	%	10.54	11.04	10.82	10.86
आयात – ताइपेई (एसएसआर)	%	12.43	5.38	6.85	7.94
आयात- रूस (सतत)	%	-	1.32	3.76	4.83
अन्य देश जिन पर पाटनरोधी शुल्क लगा है	%	37.90	25.08	18.88	7.99
अन्य देश	%	5.78	28.00	32.49	41.89

*जांच की अवधि – जनवरी, 2012 – दिसम्बर, 2012

ख) आयात मात्रा एवं बाजार हिस्सा

29. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी को यह विचार करना अपेक्षित होता है कि क्या पाटित आयातों में भारत में उत्पादन या खपत के संगत या समग्र रूप से भारी वृद्धि हुई है। आयातों की मात्रा अथवा भारत में उत्पादन या खपत के संबंध में आयातों का विवरण अधोलिखित तालिका में दिया गया है :

आयात मात्रा	यूनिट	2009-10	2010-11	2011-12	जांच की अवधि*
रूस	एमटी	-	***	***	***
प्रवृत्ति		-	*100*	*300*	*384*
चाइनीज ताईपेई	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	49	65	76
अन्य देश जिनपर पाटनरोधी शुल्क लगा है	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	75	59	25
अन्य देश	एमटी	1,167	6,362	7,784	10,001
प्रवृत्ति		100	545	667	857
कुल आयात	एमटी	11,317	13,585	14,849	14,957
निम्नलिखित के संबंध में रूस से आयात :					
कुल आयात	%	-	2.21	6.06	7.71
खपत (ग्राही खपत को शामिल करते हुए)	%	-	1.17	3.36	4.32
खपत (ग्राही खपत का अपवर्जन करते हुए)	%	-	1.32	3.76	4.83
उत्पादन (ग्राही खपत का अंतरवेशन करते हुए)	%	-	2.53	7.56	9.68
उत्पाद (ग्राही खपत का अपवर्जन करते हुए)	%	-	3.34	9.89	12.66

आयात मात्रा	यूनिट	2009-10	2010-11	2011-12	जांच की अवधि*
रूस	एमटी	-	300	900	1,153
प्रवृत्ति		-	*100*	*300*	*384*
चाइनीज ताइपेई	एमटी	2,507	1,223	1,641	1,895
अन्य देश जिन पर पाटनरोधी शुल्क लगा है)	एमटी	7,643	5,700	4,524	1,908
अन्य देश	एमटी	1,167	6,362	7,784	10,001
अन्य देश	एमटी	8,810	12,362	13,208	13,062
कुल आयात	एमटी	11,317	13,585	14,849	14,957
कुल आयात	%	22.16	9.00	11.05	12.67
खपत (ग्राही खपत सहित)	%	11.10	4.77	6.13	7.10
खपत (ग्राही खपत को छोड़कर)	%	12.43	5.38	6.85	7.94
उत्पादन (ग्राही खपत सहित)	%	22.48	10.29	13.78	15.90
उत्पादन (ग्राही खपत रहित)	%	28.72	13.60	18.03	20.80

*जांच की अवधि – जनवरी, 2012 – दिसम्बर, 2012

30. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों में वर्ष 2010-11 में गिरावट आई, परंतु उसके बाद मौजूदा पाटनरोधी शुल्क एवं संबद्ध देश के संबंध में मध्यावधि समीक्षा के परिणामस्वरूप पाटनरोधी शुल्क के उर्ध्वगामी संशोधन के बावजूद उसमें वृद्धि हुई। भारत में कुल आयातों के संबंध में संबद्ध देश से आयातों की मात्रा, भारत में स्पष्ट मांग/खपत और

भारत में कुल उत्पाद के संबंध में समग्र आयातों ने वही प्रवृत्ति अपनाई। यह वह मामला है कि इसमें ग्राही खपत को शामिल किया गया हो या न किया गया हो।

च.5. पाटित आयातों का कीमत प्रभाव और घरेलू उद्योग पर उसका प्रभाव

क) कीमत अधोरदन एवं कीमत अधोविक्रयण

31. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की जांच कीमत अधोरदन, कीमत अधोविक्रयण, कीमत निग्रहण और कीमत अवमंदन के संबंध में की गई। इस विश्लेषण के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग के संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत, निवल बिक्री प्रापण (एनएसआर) और गैर-क्षतिकारी कीमत की तुलना संबद्ध देश से आयातों के उतराई मूल्य से की गई। जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु की तुलना पाटित आयातों के उतराई तथा घरेलू बाजार में घरेलू बिक्री कीमत से की गई। घरेलू उद्योग के निवल बिक्री प्रापण का निर्धारण करने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए करों, रिबेट, डिस्काउंट्स और कमीशन का समायोजन किया गया है। कीमत अधोविक्रयण क्षति का आकलन करने का एक महत्वपूर्ण संकेतक है और इस प्रकार, प्राधिकारी ने एक गैर क्षतिकारी कीमत का निर्धारण किया तथा उसकी तुलना, कीमत अधोविक्रयण की सीमा पर पहुंचने के लिए उतराई मूल्य से की गई। घरेलू उद्योग के लिए गैर-क्षतिकारी उत्पाद के लिए उत्पादन लागत पर समुचित रूप से विचार करते हुए किया गया।

विवरण	**यूनिट**	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**	**जांच की अवधि**
आयातों की उतराई कीमत	रुपए/एमटी	-	69,850	81,759	97,513
प्रवृत्ति			*100*	*117*	*140*
घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्रापण (एनएसआर)	रुपए/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति			*100*	*124*	*141*
कीमत अधोरदन	रुपए/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति			*100*	*322*	*185*
कीमत अधोरदन %	%		***	***	***
पाटनरोधी शुल्क सहित कीमत अधोरदन %	रेंज	-	0-10%	5-15%	0-10%

कीमत अधोविक्रयण

घरेलू उद्योग की गैर-क्षतिकारी कीमत	रुपए/एमटी	***
उतराई मूल्य	रुपए/एमटी	***
अधोविक्रयण	रुपए/एमटी	***
कीमत अधोविक्रयण	%	***
कीमत अधोविक्रयण	रेंज %	20-30%

32. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क के बिना आयातों का उतराई मूल्य घरेलू उद्योग के बिक्री मूल्य से बहुत कम है, जिसके कारण भारी कीमत अधोरदन हो रहा है। तथापि, पाटनरोधी शुल्क के साथ और पाटनरोधी शुल्क के बिना आयातों की उतराई कीमत घरेलू उद्योग की गैर-क्षतिकारी कीमत से बहुत कम है, तद्वारा भारी कीमत अधोरदन प्रभाव हुआ है।

ख) कीमत निग्रहण एवं अवमंदन

33. घरेलू कीमतों पर पाटित आयातों के निग्रहण एवं अवमंदन प्रभाव की जांच करने के लिए घरेलू उद्योग के निवल बिक्री प्रापण की प्रवृत्ति की तुलना बिक्री लागत से की गई। उदधृत आंकड़े यह दर्शाते है कि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत संपर्ण क्षति अवधि के दौरान इसकी बिक्री लागत से कम रही, इसके परिणामस्वरूप भारी कीमत अधोरदन प्रभाव पड़ा

विवरण	इकाई	2009-10	2010-11	2011-12	जांच की अवधि
बिक्री लागत	रुपए/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति			*100*	*117*	*141*
बिक्री कीमत	रुपए/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति			*100*	*122*	*139*
आयातों की उतराई कीमत	रुपए/एमटी	69,850	81,759	97,513	69,850
प्रवृत्ति			*100*	*117*	*140*

34. प्राधिकारी यह नोट करते है कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की सम्बद्ध वस्तु की बिक्री कीमत में वृद्धि हुई है। तथापि, यह वृद्धि उसी अवधि के दौरान बिक्री लागत में हुई वृद्धि के समानुपातिक नहीं है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान बिक्री लागत से कम रही है। क्षति अवधि के दौरान सम्बद्ध देश से सम्बद्ध वस्तु के आयातों की उतराई कीमत में भी वृद्धि हुई है। तथापि, उतराई कीमत में हुई यह वृद्धि बिक्री लागत और बिक्रीकीमत में हुई वृद्धि की तुलना में बहुत कम है। इसके अतिरिक्त, आयातों की उतराई कीमत संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान बिक्रीलागत और निवल बिक्री प्रापण से बहुत कम है। इसलिए, यह नोट किया जाता है कि पाटित आयात घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों का निग्रहण कर रहे हैं।

च.6. घरेलू उद्योग के आर्थिक पैरामीटरों पर प्रभाव

35. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-2 में यह अपेक्षा की जाती है कि क्षति का निर्धारण करने में इन उत्पादों के घरेलू उत्पादों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की उद्देश्यपरक जांच अंतर्ग्रस्त होगी। इन उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में पाटनरोधी नियमावली में आगे यह प्रावधान किया गया है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में उन सभी संगत आर्थिक कारकों एवं संकेतकों की उद्देश्यपरक एवं पक्षपात रहित जांच शामिल होगी जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, इनमें शामिल है बिक्री, लाभ, आउटपुट, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर प्रतिलाभ या क्षमता उपयोग में संभावित एवं वास्तविक गिरावट; घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित करने वाले उपादान, पाटन मार्जिन का परिमाण; नकदी प्रवाह, मालसूची, रोजगार, वेतन, वृद्धि, पूंजी निवेश उगाहने की क्षमता पर वास्तविक एवं संभावित ऋणात्मक प्रभाव।

36. घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति पैरामीटरों का वर्णन निम्नलिखित हैं :

क) क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और ब्रिकी

37. घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपभोग और बिक्री मात्रा से संबंधित सूचना निम्नलिखित है :

विवरण	**इकाई**	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**	**जांच की अवधि**
संस्थापित क्षमता	एमटी	6,000	6,000	7,000	7,000
उत्पादन पीयूसी	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति		*100*	*100*	*101*	*101*
उत्पादन – एनपीयूसी	एमटी	***	***	***	***
कुल उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति		*100*	*100*	*101*	*101*
क्षमता उपयोग	%	108	109	94	94
प्रवृत्ति		*100*	*100*	*86*	*86*
घरेलू बिक्री मात्रा	एमटी	6,725	6,629	6,518	6,327
प्रवृत्ति		*100*	*99*	*97*	*94*

38. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा में, मांग में वृद्धि के बावजूद, क्षति अवधि के दौरान गिरावट आई है। संबंधित उत्पादन की क्षमता में वर्ष 2011-12 में घरेलू उद्योग द्वारा वृद्धि की गई। उत्पादन की मात्रा में क्षति अवधि के दौरान मामूली सी वृद्धि हुई। क्षमता उपयोग में वर्ष 2011-12 में कमी आई और जांच की अवधि में क्षमता में वृद्धि हुई।

39. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा में, मांग में वृद्धि के बावजूद, क्षति अवधि के दौरान गिरावट आई है।

ख) लाभ, लगाई गई पूंजी पर प्रतिलाभ और नकद लाभ

40. घरेलू उद्योग का लाभ, निवेश पर अर्जन तथा नकद लाभ की जांच निम्नवत की गई है :

विवरण	**इकाई**	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**	***जांच की अवधि***
बिक्री लागत	रुपए/ एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति		*100*	*111*	*130*	*157*
बिक्री कीमत	रुपए/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति		*100*	*106*	*129*	*147*
प्रति यूनिट लाभ/हानि	रुपए/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति		*(100)*	*(258)*	*(154)*	*(427)*
लाभ/हानि	लाख रुपए	***	***	***	***
प्रवृत्ति		*(100)*	*(255)*	*(150)*	*(402)*
पीबीआईटी	लाख रुपए	***	***	***	***
प्रवृत्ति		*(100)*	*(221)*	*(126)*	*(359)*
नकद लाभ	लाख रुपए	***	***	***	***
प्रवृत्ति		*(100)*	*(410)*	*(205)*	*(707)*
नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ (एनएफए आधार)	%	***	***	***	***

प्रवृत्ति		*(100)*	*(273)*	*(121)*	*(265)*

41. उपर्युक्त से प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि :

(i) घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और बिक्री लागत दोनों में क्षति अवधि में वृद्धि हुई। तथापि घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में वृद्धि कीमत में हुई वृद्धि की तुलना में अधिक थी।

(ii) संपूर्ण क्षति अवधि में लाभप्रदता ऋणात्मक रही। जांच की अवधि में लाभप्रदता काफी विपरीत रही।

(iii) लाभ, नकद लाभ, कर एवं ब्याज पूर्व लाभ और नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ ने भी लाभप्रदता की प्रवृत्ति का ही अनुपालन किया। संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान यह सभी पैरामीटर ऋणात्मक रहे।

(iv) यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग को लाभ से संबंधित पैरामीटरों के संबंध में निरंतर क्षति हो रही है। इन पैरामीटरों के संबंध में उद्योग की स्थिति में वर्तमान स्रोत से पाटन के अलावा नवीन स्रोत से पाटन होने के कारण जांच की अवधि में भारी गिरावट आई है।

ग) वेतन एवं रोजगार

42. घरेलू उद्योग के रोजगार स्तर एवं वेतन की स्थिति निम्नलिखित है :

विवरण	**इकाई**	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**	**जांच की अवधि**
रोजगार	संख्या	67	67	67	67
वेतन एवं पारिश्रमिक	लाख रुपए	***	***	***	***

43. उपर्युक्त से यह नोट किया जाता है कि क्षति अवधि के रोजगार स्तर स्थिर बना रहा। ऐसा क्षमता एवं उत्पादन में वृद्धि के बावजूद हुआ है। क्षति अवधि में वेतन एवं पारिश्रमिक में वृद्धि हुई।

घ) उत्पादकता

44. घरेलू उद्योग की उत्पादकता की स्थिति निम्नलिखित है :

विवरण	**इकाई**	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**	**जांच की अवधि**
उत्पादकता प्रति कर्मचारी	एमटी	97.10	97.51	97.91	97.92
उत्पादकता प्रतिदिन	एमटी	18.59	18.67	18.74	18.74

45. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उत्पादकता प्रति कर्मचारी और उत्पादकता प्रतिदिन संपूर्ण क्षति अवधि में समान स्तर पर बने रहे।

ड.) मालसूची

46. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के मालसूची स्तर की जांच की है जो अधोलिखित तालिका में दी गई है :

विवरण	**इकाई**	2009-10	2010-11	2011-12	**जांच की अवधि**
औसत स्टॉक	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति		*100*	*30*	*1*	

47. उपर्युक्त तालिका में यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की मालसूची में वर्ष 2011-12 तक गिरावट आई और उसमें जांच की अवधि में भारी वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त इसमें आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में वृद्धि हुई है।

च) पाटन की मात्रा

48. पाटन की मात्रा, जो इस बात का संकेतक है कि पाटित आयातों द्वारा घरेलू उद्योग को किस सीमा तक क्षति पहुंचाई जा सकती है, दर्शाती है कि जांच की अवधि में संबद्ध देश के विरूद्ध निर्धारित पाटन मार्जिन न्यूनतम से अधिक ही नहीं बल्कि बहुत अधिक है।

छ) पूंजी उगाहने की क्षमता

49. आवेदक ने यह तर्क दिया है कि वर्तमान कार्य स्थितियों में जब लगातार पाटन के कारण उत्पाद निरंतर रूप से ठीक से निष्पादन नहीं कर रहा है, किसी नवीन निवेश की प्रकल्पना नहीं की जा सकती है। तथापि, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटन की स्थिति में पूंजी निवेश उगाहने की क्षमता संगत नहीं है क्योंकि घरेलू उद्योग एक बहुउत्पाद कंपनी है।

ज) वृद्धि

50. घरेलू उद्योग के विकास के संबंध में स्थिति निम्नवत है :

विवरण	इकाई	2009-10	2010-11	2011-12	जांच की अवधि
उत्पादन	%	-	0.43	0.42	0.13
घरेलू बिक्री	%	-	-1.43	-1.68	-2.93
मालसूची	%	-	-69.81	-95.32	7,826
प्रति एमटी	%	-	-158	40	-177
निवेश पर अर्जन (एनएफए)	%	-	-7.37	6.48	-6.14

51. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने पाटनरोधी शुल्क प्रभावी होने तथा उसमें उपरिगामी संशोधन किए जाने के बावजूद लाभ तथा नियोजन पूंजी पर प्रतिलाभ के रूप में ऋणात्मक वृद्धि प्रदर्शित की है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यद्यपि क्षति अवधि में घरेलू उद्योग के उत्पादन में वृद्धि हुई है परंतु इस अवधि में उत्पादन में वृद्धि की मात्रा में गिरावट आई है। घरेलू बिक्री में कमी आई है। मालसूची में पहले गिरावट आई फिर जांच की अवधि में उसमें भारी वृद्धि हुई। घरेलू उद्योग की समग्र वृद्धि क्षति अवधि के दौरान विपरीत रही है।

झ) घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक :

52. संबद्ध देश तथा अन्य देशों से आयात कीमतों, लागत ढांचे में परिवर्तन, घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा, पाटित आयातें के अलावा अन्य कारक जो घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं, की जांच यह दर्शाती है कि पाटनरोधी शुल्क के बिना संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु का उतराई मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत एवं गैर क्षतिकारी कीमत से कम है जिससे भारतीय बाजार में पाटनरोधी शुल्क के बिना तथा पाटनरोधी शुल्क सहित दोनों स्थितियों में भारी कीमत अधोरदन एवं कीमत अधोविक्रयण कारित हो रहा है। यह भी नोट किया जाता है कि संबद्ध वस्तु की मांग जांच की अवधि में भारी वृद्धि प्रदर्शित कर रही थीं और इसलिए यह घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाला एक कारक नहीं हो सकता है। अत:, घरेलू कीमत को प्रभावित करने वाला प्रधान कारक संबद्ध देश तथा अन्य पाटनकर्ता देशों से संबद्ध वस्तु का उतराई मूल्य है।

च.7 अन्य ज्ञात कारक एवं कारणात्मक संबंध

53. प्राधिकारी ने यह जांच की है कि क्या अन्य ज्ञात कारकों ने घरेलू उद्योग को क्षति कारित की है या नहीं, यह निम्नवत है :

क) उन आयातों की मात्रा एवं कीमत जिनकी बिक्री पाटित कीमतों पर नहीं की गई :

54. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध देशों के अलावा संबद्ध वस्तु के इयू (स्वीडन को छोड़कर) और चीन से होने वाले आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगता है। प्राधिकारी ने सऊदी अरेबिया से संबद्ध वस्तु के आयात के संबंध में एक पाटनरोधी जांच शुरू की थी जिसे प्राधिकारी द्वारा समाप्त कर दिया गया क्योंकि प्राधिकारी द्वारा सऊदी अरेबिया के एकमात्र निर्यातक के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन न्यूनतम था। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने रूस से आयातों के संबंध में एक जांच प्रारंभ की थी जो अभी चल रही है। अन्य सभी देशों से आयात न्यूनतम या आयात कीमतों से उच्च है।

ख) मांग में संकुचन और/या खपत की प्रणाली में परिवर्तन

55. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस उत्पाद की मांग में क्षति अवधि के दौरान, जांच की अवधि के दौरान हल्की सी गिरावट के बाद, वृद्धि हुई। तथापि इस विचाराधीन उत्पाद की मांग में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान वृद्धि हुई। अत:, मांग में गिरावट घरेलू उद्योग को क्षति कारित नहीं कर सकती है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी को इस उत्पाद की खपत की प्रणाली में परिवर्तन का कोई साक्ष्य नहीं मिला।

ग) घरेलू एवं विदेशी उत्पादकों की व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रकियाएं और उनके बीच प्रतिस्पर्धा

56. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुएं मुक्त रूप से आयात योग्य हैं और घरेलू बाजार में कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रिया नहीं है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उत्पादकों के बीच, इसके सिवाय कि एक स्पष्ट बाजार अर्थव्यवस्था है, कोई बोधगम्य प्रतिस्पर्धा नहीं है। यह नोट किया जाता है कि इस संबद्ध वस्तु के लिए केवल एक ही बाजार है जहां संबद्ध देश के पाटित आयात घरेलू उद्योग द्वारा आपूरित संबद्ध वस्तु के साथ प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा करते हैं। यह भी नोट किया जाता है कि आयातित संबद्ध वस्तु और घरेलू रूप से उत्पादित संबद्ध वस्तु दोनों समान वस्तुएं हैं और उनका प्रयोग समान अनुप्रयोग/अंतिम प्रयोगों के लिए किया जाता है। घरेलू उत्पादकों और विदेशी उत्पादकों के बीच कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रिया या प्रतिस्पर्धा नहीं है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति कारित हो रही हो।

घ) प्रौद्योगिकी में विकास

57. प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पाद या उसके विनिर्माण के संबंध में प्रौद्योगिकी में ऐसा कोई विकास नहीं हुआ है जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो।

ड.) निर्यात निष्पादन

58. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग इस उत्पाद का निर्यात तो करती है। परंतु यह निर्यात में क्षति अवधि के दौरान भारी गिरावट आई है। तथापि, घरेलू प्रचालनों के लिए क्षति से संबंधित सूचना की यथासंभव सीमा तक पृथक रूप से जांच की गई। इसलिए घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन में कोई भी गिरावट निर्धारित की गई क्षति का संभावित कारण नहीं है।

विवरण	इकाई	2009-10	2010-11	2011-12	जांच की अवधि
घरेलू उद्योग का निर्यात	MT	20	40	-	10

च) घरेलू उद्योग की उत्पादकता

59. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की उत्पादकता में इस अवधि में उत्पादन में वृद्धि के अनुरूप मामूली सी वृद्धि हुई है। अत: उत्पादकता में गिरावट निर्धारित क्षति का एक कारक नहीं हो सकती है।

छ) अन्य उत्पादों का निष्पादन

60. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन और बिक्री किए जा रहे अन्य उत्पादों का निष्पादन क्षति का एक संभावित कारण नहीं हो पाया गया है क्योंकि इस जांच में समान वस्तु के संबंध में सभी पैरामीटरों की जांच की गई है।

61. प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालने का प्रस्ताव करते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि ऊपर सूचीबद्ध अनय ज्ञात कारकों से निर्धारित क्षति कारित नहीं की गई है, तथापि निम्नलिखित पैरामीटर्स यह दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति पाटित आयातों द्वारा ही कारित की गई है।

(i) संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों की मात्रा में वर्ष 2010-11 के पश्चात वृद्धि हुई है।

(ii) संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयात घरेलू उद्योग की कीमतों का अधोरदन कर रहे हैं और उनसे कीमत निग्रहण भी हो रहा है।

(iii) क्षति अवधि के दौरान मांग में वृद्धि के बावजूद इस उत्पाद की घरेलू बिक्री में गिरावट आई है।

च.8 क्षति संबंधी निष्कर्ष एवं कारणात्मकता

62. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देश से पाटित आयातों की मात्रा में समग्र रूप से तथा भारत में उत्पादन एवं स्पष्ट खपत के संगत रूप में वृद्धि हुई है, हालांकि संबद्ध देश से आयातों का हिस्सा बहुत अधिक नहीं है। घरेलू उद्योग के उत्पादन में वृद्धि नहीं

हुई है, परंतु इस अवधि के दौरान उसकी बिक्री में कमी आई है। घरेलू उद्योग के लाभ से संबंधित पैरामीटर पर्याप्तत: विपरीत रहे हैं। मालसूची बहुत अधिक रही है। इसमें पिछले वर्ष तक गिरावट आई है परंतु उसके पश्चात जांच की अवधि में इसमें वृद्धि हुई है।

63. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग, रूस से आयात प्रारंभ होने से पहले ही अन्य देशों से संबद्ध वस्तु के पाटन के कारण क्षति सहन कर रहा था। इन आयातों की जांच की गई तथा उन पर शुल्क का अधिरोपण किया गया। तथापि, इस जांच में विशेष रूप से पाए गए कीमत अधोरदन तथा कीमत निग्रहण के कारण यह स्पष्ट है कि संबद्ध देश से आयात घरेलू उद्योग को क्षति कारित कर रहे हैं।

च. 9 क्षति की मात्रा एवं क्षति मार्जिन

64. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की गैर-क्षतिकारी कीमत का निर्धारण घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत पर विचार करते हुए किया है। घरेलू उद्योग की इस गैर-क्षतिकारी कीमत की तुलना में क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के लिए संबद्ध वस्तु के आयातों के उतराई मूल्य के साथ की गई है। प्रस्तावित क्षति मार्जिन का निर्धारण निम्नलिखित है :

क्षति मार्जिन

विवरण	यूएस डालर/एमटी
विनिमय दर	53.69
गैर-क्षतिकारी कीमत (एनआईपी)	***
उतराई कीमत	***
क्षति मार्जिन	***
क्षति मार्जिन %	***
क्षति मार्जिन % रेंज	20-30

65. यह नोट किया जाता है कि यथानिर्धारित क्षति मार्जिन का स्तर बहुत अधिक है।

ज. भारतीय उद्योग का हित तथा अन्य मुद्दे

66. प्राधिकारी यह नोट करते है कि सामान्य रूप से पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य पाटन के अनुचित व्यापार व्यवहार द्वारा घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति का प्रशमन करना है ताकि भारतीय बाजार में मुक्त एवं पक्षपात रहित प्रतिस्पर्ध की स्थिति पुन: स्थापित हो सके जो देश के सामान्य हित में हैं। पाटन रोधी शुल्क का अधिरोपण करने से संबद्ध देशों से आयात किसी भी रूप में प्रतिबंधित नहीं होगी, इसलिए, इससे उपभोक्ताओं को संबद्ध वस्तु की उपलब्धता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

67. यह माना जाता है कि पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने से उन उत्पादों की कीमत स्तर पर प्रभाव पड़ सकता है जिनका विनिर्माण संबद्ध वस्तु का प्रयोग करके किया जाता है और इसके परिणामस्वरूप इन उत्पादों की संगत प्रतिस्पर्धात्मकता पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है। तथापि, पाटनरोधी उपाय खासकर तब जब पाटन रोधी शुल्क का अधिरोपण घरेलू उद्योग को कारित क्षति का समाधान करने के लिए जरूरी राशि तक प्रतिबंधत कर दिया जाए तो, से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा में किसी तरह की कमी नहीं आएगी। इसके विपरीत, पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण पाटन प्रक्रियाओं द्वारा अर्जित अनुचित लाभ को दूर कर देगा, घरेलू उद्योग के निष्पादन आई कमी को दूर करेगा, और उपभोक्ताओं को संबद्ध वस्तु के व्यापक विकल्प की उपलब्धता बनाए रखने में सहायता करेगा।

छ. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकटन पश्चात विवरण प्रस्तुतिकरण

छ.। विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकटन पश्चात विवरण प्रस्तुतिकरण

68. विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकटन पश्चात विवरण प्रस्तुतिकरण संक्षेप में निम्नलिखित हैं :

क. मेटाफ्रैक्स, रूस

(i) लंबी दूरी के कारण सम्प्रेषण की समस्या तथा भाषा के मुद्दे पर विचार करते हुए अपेक्षित प्रपत्र के अनुरूप विस्तृत उत्तरदायर करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया। प्राधिकारी को प्रस्तुत किया गया विस्तृत उत्तर प्राधिकारी ने स्वीकार नहीं किया।

(ii) प्रकटन पर टिप्पणी करने के लिए दिया गया समय कम है।

(iii) भारत-रूस व्यापार संबंधों पर विचार करते हुए मेटाफ्रैक्स द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण पर समुचित विचार किया जाना चाहिए।

(iv) कानोरिया केवल 27 प्रतिशत मांग को ही पूरा करता है और इस उत्पाद की कृत्रिम कमी सृजित करना चाहता है।

(v) रूस का हिस्सा 5 प्रतिशत से अधिक नहीं है और उतराई कीमत भारत में स्थानीय बिक्री कीमत से अधिक है।

ख. इंडियन पेंट एंड कोटिंग एसोसिएशन

(i) अधिकांश पेंट उपभोक्ता गुणवत्ता मुद्दे के कारण आयात कर रहे हैं क्योंकि कानोरिया 95 प्रतिशत उत्पाद की पेशकश करता है जबकि सभी आयातित उत्पाद सस्ती कीमत पर 98 प्रतिशत है।

(ii) यदि पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण किया जाता है तब भी कानोरिया संपूर्ण मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं होगा।

(iii) कानोरिया लागत कारगर बनने के लिए अपनी गुणवत्ता और मात्रा में सुधार नहीं कर रहा है। यह कई देशों पर पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित कराकर एकाधिकारी स्थिति पैदा करने का प्रयास कर रहा है। एकमात्र बाकी बचे देश पर भी पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण होने पर हजारें लघु एवं मध्यम दर्जे के विनिर्माताओं को अपने कच्चे माल में अतिरिक्त लागत के कारण नुकसान होगा।

(iv) एशियन पेंट्स भी गुणवत्ता और कीमत संबंधी मुद्दे के कारण कानोरिया से क्रय करने के बजाय भारी मात्रा में आयात कर रहा है।

(v) यह एसोसिएशन अपना ऐतराज दायर करने के लिए समयावधि के अंदर पंजीकृत होते हुए भी इस एसोसिएशन को अपने मामले का प्रतिनिधित्व करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया।

ग. संदीप आर्गनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई

(i) जेएससी मेटाफ्रैक्स ने पेंटा का भारत में नियमित रूप से भारी मात्रा में पाटन किया है। इस पर पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण किया जाना चाहिए।

(ii) पाटनरोधी शुल्क का परिकलन करने से पहले, आईएनआर की यूएस डालर में मौजूदा विनिमय दर और आर्या इंटरप्राइज, यूएई (निर्यातक) और आरएमएफ कैमिकल्स, स्विटजरलैंड (विनिर्माता)/उत्पादक जेएससी मेटाफ्रैक्स, रूप निर्यात घराना/सिस्टर कंपनी/एजेंट के लाभ पर भी विचार करना चाहिए।

(iii) पेंटा की ससीएफआर कीमतें 1600-1700 की रेंज में हैं।

(iv) रूस से पेंटा का निर्यात 2 शुद्धता स्तरों - 95-96 प्रतिशत और 98-99 प्रतिशत पर किया जाता है।

(v) घरेलू/स्थानीय विनिर्माता का सीओए और रूस के सीओए की तुलना में की जानी चाहिए।

घ. भारत साल्वेट एंड कैमिकल कार्य

(i) जांच शुरूआत का प्रत्युत्तर दिनांक 31.07.2013 को दायर किया गया और प्रश्नावली का विस्तृत प्रत्युत्तर दिनांक 19.09.2013 को दायर किया गया। तथापि, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकार द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण पर विचार नहीं किया गया और उसे मौखिक सुनवाई एवं वर्तमान तर्क/प्रत्युक्तियां प्रदान करने का अवसर नहीं दिया गया।

(ii) कानोरिया का कुल उत्पादन मांग का केवल 23.71 प्रतिशत (ग्राही खपत का अपवर्जन करते हुए) ही है। इसे घरेलू उद्योग की स्थिति बताना पूर्णतया गलत है।

(iii) जांच की अवधि के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय रुपए का सकल अवमूल्यन हुआ है। हालांकि रूबल बनाम भारतीय रुपए की स्थिति में सुदृढ़ता आई है।

(iv) पाटन से संबंधित सबूत प्रदान करने का दायित्व शिकायतकर्ता का है। याचिकाकर्ता ने सामान्य मूल्य का कोई साक्ष्य नहीं दिया हे। मेटाफ्रैक्स द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना तुच्छ आधार पर यह कहकर अस्वीकार कर दी गई कि इसे निर्धारित प्ररूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(v) शिकायत में उल्लिखित निर्यात कीमत वास्तविक नहीं है और यह बाजार अनुसंधान रिपोर्टों पर आधारित नहीं है।

(vi) भारत में पेंटा की मांग कानोरिया की उत्पादन क्षमता से अधिक है।

(vii) याचिकाकर्ता को रूस से आयातों के कारण कोई क्षति नहीं हुई है क्योंकि जांच की अवधि के दौरान उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार दर्शाया गया है ।

(viii) कानोरिया ने अभी हाल ही में विशाखापत्तनम स्थित अपने संयंत्र में पेंटा का उत्पादन करने के लिए अपनी क्षमता में विस्तार किया है। इसने समग्र लेखाकरण लागत कारक को कम कर दिया है और केवल अल्पावधि में ही इसके लाभ में कमी आई है।

(ix) मेथनाल की कीमत में वृद्धि होने से घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत में वृद्धि हुई।

(x) कथित घरेलू उद्योग के त्रुटिपूर्ण प्रबंधन निर्णयों एवं नीतियों के कारण उसकी स्थिति में और अधिक अधोपत्तन आया।

(xi) घरेलू उद्योग ने घरेलू बिक्रियों के कारण हुई क्षति का चिन्हांकन नहीं किया है।

(xii) कीमत अधोरदन के दावे नियोजित पूंजी पर 22 प्रतिशत अधिलाभ की संकल्पना करके अतिशयोक्तिपूर्ण है।

(xiii) घरेलू उद्योग ने सह-उत्पादों, जैसे सोडियम फारमेट की बिक्री से होने वाले लाभ को क्षति दूर करने के लिए आय में शामिल नहीं किया है।

(xiv) देश में पेंटा का अभाव है। एशियन पेंट्स ने भी आयात किया है।

(xv) रूस से होने वाला पेंटा का आयात अन्य देशों जैसे स्वीडन और सऊदी अरेबिया से होने वाले आयात की तुलना में बहुत कम है।

(xvi) अन्य उत्पादकों की बिक्री तथा मांग में वृद्धि हुई है। कानोरिया की बिक्री में तुलनात्मक गिरावट यह दर्शाती है कि रूस से होने वाले आयातों का घरेलू उद्योग पर कोई प्रभाव नहीं है।

(xvii) यदि घरेलू उद्योग की बिक्री में गिरावट आई है तो अपनी क्षमता का विस्तार क्यों किया गया।

(xviii) कानोरिया द्वारा दिए गए आंकड़े त्रुटिपूर्ण हैं क्योंकि ईयू के विरूद्ध मामले में वर्ष 2009-10 में हुई बिक्री 6778 एमटी बताई गई है जबकि इस शिकायत में यह 6327 एमटी बताई गई है।

छ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रकटन पश्चात विवरण प्रस्तुतिकरण

69. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रकटन पश्चात विवरण प्रस्तुतिकरण संक्षेप में निम्नलिखित हैं :

(i) वास्तविक उत्पादन लागत पर विचार करते हुए गैर-क्षतिकारी कीमत को पुन: निर्धारित किया जाना चाहिए।

(ii) इस विचाराधीन उत्पाद का भारत को निर्यात सामान्य मूल्य से कम कीमत पर किया जा रहा है जिसके कारण संबद्ध देश से पाटन हुआ।

(iii) जांच की अवधि में संबद्ध देश से क्षति मार्जिन और पाटन मार्जिन दोनों ही सकारात्मक ओर बहुत अधिक है।

(iv) घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

(v) पाटनरोधी शुल्क का निर्णायक रूप से नियत स्वरूप में अधिरोपित किया जाना अपेक्षित है और यह शुल्क यूएस डालर रूप में अभिव्यक्त किया जाना चाहिए।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

70. प्राधिकारी ने इन सभी मुद्दों का संगत समझी गई सीमा तक निम्नवत निराकरण किया है :

(i) जहां तक इस तर्क का संबंध है कि विस्तृत प्रत्युत्तर दायर करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी करार या भारतीय नियमों में कहीं भी संम्पेषण समस्या भाषा के मुद्दे या अंतर्ग्रसत दूरी के कारण अतिरिक्त समय दिए जाने का प्रावधान नहीं किया गया है।

(ii) यह सही नहीं है कि मेटाफ्रैक्स द्वारा दिए गए उत्तर को प्राधिकारी द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। उस पर विचार नहीं किया गया। वास्तव में प्राधिकारी ने वर्तमान जांच परिणाम में मेटाफ्रैक्स द्वारा किए गए सभी प्रस्तुतिकरणों पर विचार किया है।

(iii) प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि नियम में ऐसी किसी न्यूनतम समय की परिकल्पना नहीं की गई है जिसकी अनुमति प्रकटन विवरणी पर टिप्पणियां करने के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी द्वारा दिया जाना चाहिए। यह नोट किया जाता है कि किसी भी हाल में मेटाफ्रैक्स ने प्रकटन विवरण पर अपनी टिप्पणियां प्रदान करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग नहीं की है। इसलिए यह तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि प्रकटन विवरण पर टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय प्रदान नहीं किया गया।

(iv) प्राधिकारी ने मेटाफ्रैक्स द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरणों पर समुचित रूप से विचार किया है। मेटाफ्रैक्स द्वारा किए गए प्रत्येक प्रस्तुतिकरण पर सावधानीपूर्वक विचार किया गया है और यह जांच परिणाम देते समय उनका मूल्यांकन किया गया है।

(v) प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि कई हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग देश में इस उत्पाद की संपूर्ण मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं है। हालांकि यह सच है कि घरेलू उद्योग इस उत्पाद की देश में होने वाली संपूर्ण मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं है तथापि प्राधिकारी ने आयातों पर न तो कोई प्रतिबंध लगाया है और न ही पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण किसी पक्षकार को अपने उत्पाद का आयात करने या किसी निर्यातक को अपने उत्पाद की बिक्री करने से वंचित नहीं करता है।

(vi) जहां तक मेटाफ्रैक्स के इस तर्क का संबंध है कि रूस का हिस्सा 5 प्रतिशत से अधिक नहीं है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि नगण्यता के संबंध में नियम जांचाधीन देश से उत्पाद के आयातों और निर्यातों में इसके कुल हिस्से के संबंध में नगण्यता का प्रावधान करते हैं। संगत अवधि के दौरान रूस से आयात भारत को होने वाले कुल आयातों का 77 प्रतिशत थे जो विधि द्वारा प्रावधान की गई नगण्यता की सीमा से स्पष्टत: बहुत अधिक है।

(vii) मेटाफ्रैक्स ने तर्क दिया है कि रूस से आयातों की उतराई कीमत भारत में स्थानीय बिक्री कीमत से अधिक है। तथापि, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि रिकाड में उपलब्ध सूचना स्पष्टत: यह दर्शाती है कि रूस से आयातों की उतराई कीमत भारत में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से न्यूनतर है।

(viii) भारतीय पेंट एंड कोटिंग एसोसिएशन ने यह तर्क दिया है कि अधिकांश पेंट उपभोक्ता गुणवत्ता मुद्दे के कारण आयात कर रहे हैं। कानोरिया 95 प्रतिशत शुद्धता वाले उत्पादों की पेशकश करता है जबकि सभी आयातित उत्पादों की शुद्धता 98 प्रतिशत है ओर उनकी कीमत भी कम है। तथापि, यह नोट किया जाता है कि इस दावे के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस दावे के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता द्वारा प्रदान कराए गए बिक्री बीजक और उत्पाद विनिर्देशन यह दर्शाते हैं कि उसने 98 प्रतिशत शुद्धता वाले उत्पादों का उत्पादन और उसकी बिक्री की है। यह भी नोट किया जाता है कि इस विचाराधीन उत्पाद से संबंधित कई जांचें की गई है और विगत में की गई इस विचाराधीन उत्पाद की किसी भी जांच में किसी उपभोक्ता या एसोसिएशन ने गुणवत्ता या विनिर्देशन में परिमाणीकृत वास्तविक अंतर सिद्ध नहीं किया है। जांच में यह दर्शाया गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु रूस तथा अन्य देशों से आयातित वस्तु से तकनीकी एवं वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय है।

(ix) प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी जांच का प्रयोजन एकाधिकारवादी स्थिति का सृजन करना नहीं है। इस उद्देश्य पाटन की प्रक्रियाओं द्वारा सृजित अनुचित स्थिति का निराकरण करना है। इसके अतिरिक्त, यह नोट किया जाता है कि इस विचाराधीन उत्पाद पर कई विभिन्न देशों में पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण किया गया है। तथापि, एसोसिएशन ने ऐसी कोई परिमाणित या सत्यापनयोग्य सूचना प्रदान नहीं की है जिससे यह प्रदर्शित होता हो कि हजारों लघु एवं मध्यम दर्जे के विनिर्माताओं के अपने कच्चे माल में इस अतिरिक्त लागत के कारण घाटा उठाना पड़ा हो। अत:, यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि यह तर्क पूर्णतया असत्यापनयोग्य एवं असाक्ष्यांकित है कि हजारों लघु एवं मध्यम दर्जे के विनिर्माताओं को इस अतिरिक्त लागत के कारण घाटा उठाना पड़ा है।

(x) यह भी तर्क दिया गया है कि एशियन पेंट्स भी गुणवत्ता और कीमत में निर्धारण मुद्दे के कारण कानोरिया से क्रय करने के बजाय भारी मात्रा में आयात कर रहा है। तथापि, यह नोट किया जाता है कि एशियन पेंट ने ऐसा कोई तर्क नहीं दिया है और इसको सिद्ध करने के लिए कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया है। इसके विपरीत, याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग ने यह दर्शाते हुए दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं कि उसने इस अवधि के दौरान एशियन पेंट को बिक्रियां की हैं। इसके अतिरिकृत, घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान कराई गई सूचना यह दर्शाती है कि एशियन पेंट को की जाने वाली उनकी बिक्री में कोई वास्तविक कमी नहीं आई है।

(xi) इंडियन पेंट एंड कोटिंग एसोसिएशन ने यह तर्क दिया है कि यद्यपि यह एसोसिएशन अपनी आपत्ति दर्ज करने के लिए सही समयावधि के अंतर्गत पंजीकृत थी फिर भी उसे अपने मामले का प्रतिनिधित्व करने के लिए समुचित समय नहीं दिया गया। इस संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह तर्क तथ्यात्मक रूप से सही नहीं हैं। इस एसोसिएशन ने विगत कई अवसरों पर आयोजित की गई जांच में प्रतिभागिता की। एसोसिएशन यह अभिवचन नहीं कर सकती है कि उसे वर्तमान जांच की जानकारी नहीं थी। प्राधिकारी ने सभी पक्षकारों को अपने विचार व्यक्त करने के लिए संगत सूचना प्रदान करने हेतु पर्याप्त अवसर दिया था।

(xii) यद्यपि मेटाफ्रैक्स ने यह तर्क दिया है कि कंपनी ने पाटन का आश्रय नहीं लिया है, तथापि, संदीप आर्गनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई ने तर्क दिया है कि जेएससी मेटाफ्रैक्स ने पेंटा का भारत में भारी मात्रा एवं नियमित रूप से पाटन किया है।

(xiii) जहां तक इस तर्क का संबंध है कि प्राधिकारी को निर्यातक देशों की वर्तमान विनिमय दर और व्यय एवं लाभ पर विचार करना चाहिए, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि प्राधिकारी ने जांच की अवधि के दौरान प्रचलित विनिमय दर पर ही विचार किया है। आयात कीमत के लिए चुनिंदा रूप से मौजूदा विनिमय दर पर विचार करना उपयुक्त नहीं होगा। यह कल्पना करना निराधार होगी कि इस अवधि के दौरान केवल विनिमय दरों में ही परिवर्तन हुआ है तथा अन्य सभी पैरामीटर अपरिवर्तित रहे हैं।

(xiv) जहां तक कीमत समायोजन करने के लिए दावे का संबंध है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस तरह का कोई समायोजन तभी व्यवहार्य हो सकता है जब संबंधित निर्यातक द्वारा प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर किया गया हो। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस तरह किया गया कोई भी समायोजन पाटन मार्जिन बढ़ोतरी ही करेगा।

(xv) संदीप आर्गनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई ने तर्क दिया है कि पेंटा का एक अन्य निर्यातक भी है जिसको निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पत्र प्रेषित नहीं किया है। तथापि, यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने सार्वजनिक सूचना जारी की है।

(xvi) संदीप आर्गनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई ने यह उल्लेख किया कि संदीप आर्गनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई ने अपने पत्र में प्राधिकारी को इनाम दिए थे और उनका उल्लेख प्रकटन विवरण में नहीं किया गया है। तथापि, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि प्राधिकारी ने संदीप आर्गनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई द्वारा किए गए सभी प्रस्तुतिकरणों पर विचार किया है।

(xvii) प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संदीप आर्गनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई ने यह उल्लेख किया है कि पेंटा की सीएफआर कीमतें 1600-1700 की रेंज में थी। प्राधिकारी द्वारा विचारी गई निर्यात कीमत भी उसी क्षेत्र में है। तथापि, चूंकि इस मामले में कंपनी आर्या इंटरप्राइज, यूएई ने विहित प्रपत्र और रीति में प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर नहीं किया है इसलिए प्राधिकारी व्यक्तिगत पाटन मार्जिन का निर्धारण करने की स्थिति में नहीं हैं।

(xviii) भारत साल्वेट ने भी तर्क दिया है कि चूंकि कानोरिया का आउटपुट मांग (ग्राही मांग का अपवर्जन करते हुए) की तुलना में केवल 23.71 प्रतिशत है इसलिए इसे घरेलू उद्योग का दर्जा दिया जाना विधिक रूप से उचित नहीं है। तथापि, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि नियम 2(ख) में यह प्रावधान है कि "घरेलू उद्योग" का आशय समान वस्तु के विनिर्माण में लगे समग्र रूप से सभी घरेलू उत्पादकों या उन उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उस वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा अनुपात बनता हो, उस स्थिति को छोड़कर जब इन उत्पादकों का कथित पाटित वस्तु के आयातकों या निर्यातकों से कोई संबंध हो या उसके स्वयं आयातक हों, ऐसी स्थिति में वाक्यांश "घरेलू उद्योग" को शेष उत्पादकों के रूप में उल्लेख करते हुए माना जा सकता है। वर्तमान मामले में जांच से यह प्रदर्शित होता है कि याचिकाकर्ता का उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा होता है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि भारतीय मांग में याचिकाकर्ता के हिस्से पर विचार करना उचित नहीं है क्योंकि नियमों में यह अपेक्षा की जाती है कि प्राधिकारी भारतीय उत्पादन के आधार पर बड़े भाग पर विचार करेंगे।

(xix) कई हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि जांच की अवधि के पश्चात यूएस डालर का पर्याप्त मूल्यवर्धन हुआ है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि अभिनव अवधि में चुनिंदा रूप से यूएस डालर पर विचार करना उपयुक्त नहीं होगा। प्राधिकारी ने विस्तृत जांच के लिए एक निश्चित समय का निर्धारण किया है और इस समय प्रचलित पैरामीटरों पर चुनिंदा रूप से विचार करना उपयुक्त नहीं होगा। उत्तरवर्ती अवधि में वर्तमान निर्धारण करने वाले किसी भी पैरामीटर में भारी परिवर्तन होने पर समीक्षा की आवश्यकता होगी जिसपर विधि के अनुरूप नियम 23 के अंतर्गत विचार किया जा सकता है।

(xx) भारत साल्वेंट ने यह तर्क दिया है कि पाटन के संबंध में प्रमाण देने का दायित्व शिकायतकर्ता का है और याचिकाकर्ता द्वारा सामान्य मूल्य का कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है। भारत साल्वेंट ने यह तर्क भी दिया है कि मेटाफ्रैक्स द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना केवल इन तुच्छ आधारों पर नामंजूर कर दी गई कि यह सूचना विहित प्रपत्र में प्रस्तुत नहीं की गई है। प्राधिकारी यह प्रतिपादित करते हैं कि याचिकाकर्ता ने पाटन की मौजूदगी के संबंध में अपने शुरूआती दायित्व का निर्वहन किया है। अब निर्यातकों को चाहिए था कि वह विहित प्रपत्र में समुचित ढंग से सूचना प्रस्तुत करें और यह प्रमाणित करें कि उन्होंने सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर निर्यात नहीं किया है। तथापि रूस के किसी भी विनिर्माता ने विहित प्रपत्र में निश्चित स्वरूप में प्रश्नावली का प्रत्युत्तर दायर नहीं किया है और इसलिए इन कंपनियों के प्रश्नावली प्रत्युत्तर के आधार पर पाटन मार्जिन का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। इस तर्क के संबंध में कि मेटाफ्रैक्स द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना केवल इस तुच्छ आधार पर नामंजूर कर दी गई कि उक्त सूचना विहित

प्रपत्र में प्रस्तुत नहीं की गई थी, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि किसी प्रश्नावली का प्रत्युत्तर तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता है जब तक यह विहित प्रपत्र में न हो। मेटाफ्रैक्स द्वारा दायर किए गए प्रत्युत्तर में वास्तविक अंतराल हैं और उसमें उल्लिखित सूचना उसके आधार पर पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के लिए सकल रूप से अपर्याप्त है।

(xxi) भारत साल्वेंट ने यह तर्क दिया है कि याचिका में उल्लिखित निर्यात कीमत वास्तविक नहीं है और बाजार अनुसंधान रिपोर्टों पर आधारित नहीं है। यह नोट किया जाता है कि निर्यात कीमत का निर्धारण आईबीआईएस के आधार पर किया गया है और इसलिए वह वर्तमान प्रयोजनों के लिए पर्याप्त है।

(xxii) कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता ने जांच की अवधि के दौरान लाभ अर्जित किया है। तथापि, जांच से यह स्पष्ट हुआ कि याचिकाकर्ता को जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के संबंध में वित्तीय घाटा उठाना पड़ा है। इस संबंध में यह नोट किया जाता है कि याचिकाकर्ता ने अपने कास्टिक सोडा संयंत्र की बिक्री के कारण जांच की अवधि के दौरान कई करोड़ रुपए का अर्जन हुआ है परंतु यह लाभ स्पष्टत: वर्तमान प्रयोजन के लिए संगत नहीं है।

(xxiii) यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता ने अभी हाल ही में पेंटा का उत्पादन करने के लिए विशाखापत्तनम में अपनी क्षमता का विस्तार किया है, जिसके कारण उसके लाभ में कमी आई है। तथापि, यह नोट किया जाता है कि कपंनी ने विशाखापत्तनम संयंत्र में कोई क्षमता विस्तार नहीं किया है। यह क्षमता विस्तार अंकेलेश्वर में किया गया है और उस पर ही वर्तमान निर्धारण में विचार किया गया है। जहां तक क्षमता विस्तार के कारण लाभ में गिरावट आने के आरोप का प्रश्न है यह कहा जा सकता है कि प्राधिकारी ने नवीन संयंत्र पर अतिरिक्त लागत का उपशमन करके लाभ का निर्धारण किया है। आंकड़े अभी भी यह प्रदर्शित करते हैं कि घरेलू उद्योग को भारी वित्तीय घाटा हुआ है।

(xxiv) कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि मेथनाल की कीमतों के कारण घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत में वृद्धि हुई है। प्राधिकारी यह विचार करते हैं कि उत्पादन लागत में वृद्धि होने का कारण चाहे कुछ भी रहा हो परंतु नियमों में प्राधिकारी से यह निर्धारित करने की अपेक्षा की जाती है कि क्या पाटित आयातों के प्रभाव के कारण कीमतों का भारी मात्रा में अवमंदन हो रहा है अथवा उससे कीमतों में वृद्धि अवरूद्ध हो रही है जो अन्यथा भारी मात्रा में वृद्धि प्राप्त हुई होती। इस संबंध में यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में वृद्धि उसकी उत्पादन लागत में हुई वृद्धि की तुलना में बहुत कम है। आयात घरेलू उद्योग की कीमतों का बाजार में निग्रहण कर रहे हैं।

(xxv) कुछ हितबिद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग का विपरीत निष्पादन त्रुटिपूर्ण प्रबंधन निर्णयों और घरेलू कंपनी की नीतियों के कारण हुआ है। तथापि, इन हितबद्ध पक्षकारों ने यह सिद्ध नहीं कर पाया है कि घरेलू कंपनी के त्रुटिपूर्ण प्रबंधन निर्णयों एवं नीतियों के परिणामस्वरूप उसके निष्पादन में गिरावट कैसे आई है। इसके अतिरिक्त, जांच से यह प्रदर्शित नहीं हुआ है कि घरेलू कंपनी के निष्पादन में यह गिरावट त्रुटिपूर्ण प्रबंधन नीतियों और निर्णयों के कारण आई है।

(xxvi) कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग ने घरेलू बिक्रियों में लाभ/हानि प्रदान नहीं की है। तथापि, यह स्पष्ट किया जाता है कि लाभ/हानि पर विचार केवल घरेलू प्रचालनों के संबंध में ही किया गया है।

(xxvii) यह तर्क दिया गया है कि कीमत अधोविक्रयण दावों को नियोजित पूंजी पर 22 प्रतिशत प्रतिलाभ की कल्पना करके अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया गया है। तथापि, यह देखा जाता है कि यदि नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ पर विचार नहीं भी किया जाता है और घरेलू उद्योग की केवल उत्पादन लागत पर विचार किया जाता है तब भी आंकड़े स्पष्टतया भारी कीमत अधोविक्रयण की मौजूदगी सिद्ध करते हैं। आयातों की उतराई कीमत घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत से कम है।

(xxviii) यह तर्क दिया गया है कि घरेलू उद्योग ने अपने सह उत्पाद सोडियम फारमेट की बिक्री को अपना घाटा दूर करने के लिए शामिल नहीं किया है। यह स्पष्ट किया जाता है कि लाभ/हानि और गैर-क्षतिकारी कीमत का निर्धारण सोडियम फारमेट के मूल्य को घटाकर किया गया है।

(xxix) यह भी तर्क दिया गया है कि देश में पेंटा की कमी है और एशियन पेंट ने भी इसका आयात किया है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि वर्तमान याचिका और प्रस्तावित पाटनरोधी शुल्क का आशय देश में आयातों पर प्रतिबंध लगाना नहीं है।

(xxx) यह तर्क दिया गया है कि रूस से पेंटा का आयात अन्य देशों जैसे स्वीडन और सऊदी अरेबिया से होने वालो आयात की तुलना में कम है। तथापि, यह नोट किया जाता है कि वर्ष 2009-10 में रूस से शून्य आयात हुआ था और वर्ष 2010-11 में यह आयात 300 एमटी था। वर्ष 2010-11 की तुलना में जांच की अवधि में इन आयातों में लगभग

चार गुना वृद्धि हो गई। इसके अतिरिक्त, रूस से होने वाले आयात भारत में कुल मांग का केवल 4.32 प्रतिशत हैं। यह भी नोट किया जाता है कि रूस से आयात कीमत औसत आधार पर उन अन्य देशों से, जिन पर पाटनरोधी शुल्क नहीं लगा था, होने वाली आयात कीमत से कम थी।

(xxxi) यह तर्क दिया गया है कि अन्य उत्पादकों की बिक्री एवं मांग में वृद्धि होना और कानोरिया की बिक्री में गिरावट आना यह प्रदर्शित करता है कि रूस से होने वाले आयातों का घरेलू उद्योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। तथापि, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग तथा अन्य उत्पादकों के बाजार हिस्से से गिरावट आई है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान मामले में प्राथमिक क्षति घरेलू उद्योग पर आयातों के विपरीत कीमत प्रभाव के रूप में हुई है। लाभ, नकद लाभ और निवेश पर प्रतिलाभ के रूप में घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट आई है। यह तर्क भी दिया गया है कि जब घरेलू उद्योग की बिक्री में गिरावट आई है तब क्षमता विस्तार क्यों किया गया। तथापि, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा किया गया क्षमता विस्तार देश में इस उत्पाद की वर्तमान और संभावित मांग की तुलना में कम है। यह ऐसी स्थिति प्रतीत नहीं होती है जिसमें घरेलू उद्योग को क्षति क्षमता विस्तार करने के कारण हुई हो।

(xxxii) जहां तक बिक्री के आंकड़ों में त्रुटि होने से संबंधित तर्क का प्रश्न है, यह स्पष्ट किया जाता है कि जांच की अवधि (अप्रैल, 2009- जून, 2010) में घरेलू उद्योग की ईयू के मामले में वार्षिकीकृत बिक्री 6778 एमटी थी। वर्तमान मामले में जांच की अवधि (जनवरी-दिसम्बर, 2012) के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री 6327 एमटी है। वर्ष 2009-10 में घरेलू उद्योग की वास्तविकी बिक्री 6725 एमटी थी।

झ. निष्कर्ष

71. विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों तथा घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरणों और उनमें उठाए गए मुद्दों की जांच करने और रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के पश्चात प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि विचाराधीन उत्पाद का भारत को इसके सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर किया गया जिसके परिणामस्वरूप इस उत्पाद का पाटन हुआ। घरेलू उद्योग को संबद्ध वस्तु के बारे में वास्तविक क्षति सहन करनी पड़ी। यह वास्तविक क्षति संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण कारित की गई है।

ञ. सिफारिशें

72. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह जांच शुरू की गई तथा सभी हितबद्ध पक्षकारों को इसकी सूचना दी गई और निर्यातकों, आयातकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के सभी पहलुओं पर सकारात्मक जानकारी प्रदान कराने के लिए उन्हें पर्याप्त अवसर दिया गया। पाटनरोधी नियमावली में दी गई शर्तों के अनुरूप पाटन क्षति और कारणात्मक संबंधों की जांच प्रारंभ करके एवं आयोजित करके घरेलू उद्योग के लिए सकारात्मक पाटन मार्जिन तथा इन पाटित आयातों के कारण हुई वास्तविक क्षति की स्थापना करके प्राधिकारी का विचार है कि पाटन और परिणाम "क्षति" को दूर करने के लिए निर्णायक पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करना अपेक्षित है। इसलिए प्राधिकारी संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों अधोलिखित स्वरूप और ढंग में निर्णायक पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने की सिफारिश करते हैं।

73. प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए न्यूनतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के न्यूनतर के बराबर निर्णायक पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने की सिफारिश करते हैं जिससे कि घरेलू उद्योग की क्षति को दूर किया जा सके। तदनुसार संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के सभी आयातों पर केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अधिसूचना की तारीख से निम्नलिखित तालिका में विनिर्दिष्ट राशि के अनुरूप पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण किए जाने की सिफारिश की जाती है।

शुल्क तालिका

क्र.सं.	उप-शीर्ष	वस्तु विवरण	विनिर्देशन	उदगम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	मापन की इकाई	मुद्रा
1	2905 42	"पेनटाइरायथ्रिटाल	कोई भी ग्रेड	रुस	रुस	कोई भी	कोई भी	474	एमटी	यूएस डालर
2	2905 42	"पेनटाइरायथ्रिटाल	कोई भी ग्रेड	रुस	कोई भी अन्य	कोई भी	कोई भी	474	एमटी	यूएस डालर
3	2905 42	"पेनटाइरायथ्रिटाल	कोई भी ग्रेड	कोई भी अन्य	रुस	कोई भी	कोई भी	474	एमटी	यूएस डालर

74. इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ आयातों का उतराई मूल्य वहीं होगा जो सीमाशुल्क द्वारा सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अंतर्गत यथानिर्धारित आकलित किया गया है और इसमें उक्त अधिनियम की धारा 3, 3क, 8ख, 9 और 9क के अंतर्गत शुल्कों के सिवाय अन्य सभी सीमाशुल्क शामिल होंगे।

75. केंद्रीय सरकार द्वारा इसे स्वीकार कर लिए जाने के पश्चात इस आदेश के विरुद्ध सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद कर एवं सेवा कर अपीलीय प्राधिकरण में अपील दायर की जा सकती है।

जे. के. दादू, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th December, 2014

(Final Findings)

Subject: Final Findings in the anti-dumping investigation concerning imports of Pentaerythritol originating in or exported from Russia-reg.

No.14/26/2012-DGAD: Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995 thereof:

A. BACKGROUND OF THE CASE

2. Whereas, M/s Kanoria Chemicals & Industries Limited (hereinafter also referred to as the applicant) filed a duly substantiated application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the Rules), alleging dumping of Pentaerythritol (hereinafter referred to as the subject goods), originating in or exported from Russia (hereinafter referred to as the subject country), and, thus, for initiation of anti-dumping investigation and for levy of anti-dumping duties on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country.

3. And whereas, the Authority found sufficient prima facie evidence of dumping of the subject goods originating in or exported from the subject country and injury to the domestic industry and causal link between dumping and injury and initiated the anti dumping investigation vide Notification No 14/26/2012-DGAD dated 21st June, 2013 to investigate into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry, in terms of Rule 5 of the Anti-dumping Rules, and to determine the existence, degree and effect of the alleged dumping and to recommend the amount of anti-dumping duty, which, if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

B. PROCEDURE

4. The procedure described below has been followed in this investigation:

i) The Authority notified the Embassy of the subject country in India about the receipt of application alleging dumping of the subject goods originating in or exported from the subject country before proceeding to initiate the investigation in accordance with the Anti-dumping Rules.

ii) The Authority issued a public notice no 14/26/2012-DGAD dated 21st June, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating the anti dumping investigation concerning imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country.

iii) The Authority forwarded a letter along with copy of the public notice to all the known exporters and other interested parties/industry associations (whose details were made available by the domestic industry) and gave them opportunity to make their views known in writing within the prescribed time limits in accordance with the Anti-Dumping Rules.

iv) The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known exporters of the subject country in accordance with the Anti-dumping Rules. A copy of the application was also made available to other interested parties, upon request.

v) Copies of the letter and the exporter's questionnaires sent to the exporters/producers in the subject country were also sent to the Embassy of the subject country in India along with a list of known exporters / producers with a request to advise the known exporters / producers from the subject country as also other exporters / producers from the subject country to respond to the questionnaires within the prescribed time limits.

vi) The Authority sent exporter's questionnaires to elicit relevant information to the following known exporters in the subject country in accordance with the Anti-dumping Rules:

a) JSC "Metafrax", Russia, Gubaha, Perm region, 618250

b) Russia Tech.Chem Co Ltd, VO UL. Kapitanskaya, 307, Saint Petersburg – 197724, Russian Federation

c) Chemiolux, Moscow, Milutinskiy per.18/3, Russia

vii) None of the exporters filed response to the exporter's questionnaire in the form and manner prescribed by the Authority. However, the following made miscellaneous submissions:

a) Joint Stock Company Metafrax, Russia; and

b) Ministry of Economic Development of the Russian Federation, through The Trade Representation of the Russian Federation in the Republic of India

viii) The Authority forwarded a copy of the public notice to the following known importers/users/user associations (whose names and addresses were made available to the Authority) of subject goods in India and advised them to make their views known in writing within forty days from the date of issue of the letter in accordance with the Rule 6(4):

User Associations

a) Indian Paints Association, Calcutta

b) Indian Resin Manufacturers' Association, Mumbai

c) Indian Small Scale Paint Association, Mumbai

Importers/Users

a) Addison Paints & Chemical Ltd., Chennai, Tamil Nadu

b) Berger Paints India Limited, Mumbai

c) Century Enka Limited, Mumbai

d) Ciba Specialty Chemicals (India), Mumbai

e) Coates Of India Ltd, Mumbai

f) Decro Paints, Hyderabad

g) Dujodwala Paper Chemicals Ltd., Raigad

h) Gargi Industries Prop, Thane, Navi Mumbai

i) Goodlass Nerolac Paints Ltd, Mumbai

j) Hardcastle & Waud Mfg Co Limited, Mumbai

k) Hero Dye Chem Industries, Mumbai

l) Hindustan Inks & Resins Ltd, Mumbai

m) IVP Ltd., Maharashtra

n) Jenson & Nicholson (I) Ltd., Kolkata

o) Mitsu Inds. Limited, Mumbai

p) Paras Dyes & Chemicals ,Mumbai

q) Resin & Pigments, Pitham pur, Madhya Pradesh

r) Perstorp Chemicals India Pvt Ltd, Vapi

s) A.V.M. Sales Pvt. Ltd., Kolkata

t) Alcon Enterprises, Kolkata

u) Chemi Colour Agency, Kolkata

v) Eastcorp International, Kolkata

w) Garware Polyester Ltd., Mumbai

x) H. R. Trading Co. Pvt. Ltd, Mumbai

y) Leo Chemoplast Pvt. Ltd., Mumbai

z) Samir Dye Chem, Mumbai

aa) Sanman Trade Impex Pvt. Ltd., Mumbai

bb) Saraf Chemicals Ltd., Mumbai

cc) Vibgyor Paints Pvt. Ltd., Mumbai

dd) Dujodwala Paper Chemicals Limited, Mumbai

ee) Shalimar Paints Ltd., Hawrah

ix) None of the importers/users/associations filed any responses to the questionnaire. However, the following made miscellaneous submissions:
   a) Sandeep Organics Pvt Ltd, Mumbai
   b) India Paint & Coating Association, New Delhi
   c) Bharat Solvent & Chemical Corporation, New Delhi

x) The Period of Investigation (POI) for the purpose of the present investigation was from 1st January, 2012 to 31st December, 2012. The examination of trends in the context of injury analysis covered the periods 2009-10, 2010-11, 2011-12 and the POI.

xi) Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to arrange details of imports of subject goods into India for the past three years, including the period of investigation, and the said information was obtained from the DGCI&S and has been adopted in this investigation.

xii) Exporters, producers and other interested parties who have neither responded to the Authority, nor supplied information relevant to this investigation have been treated as non-cooperating interested parties.

xiii) The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties as per Rule 6 (7).

xiv) The Authority has examined the information furnished by the domestic producer to the extent possible on the basis of guidelines laid down in Annexure III to work out the cost of production and the non-injurious price of the subject goods in India so as to ascertain if anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.

xv) In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority provided opportunity to all interested parties to present their views orally in a public hearing held on 9th September, 2014 which was attended by only the domestic industry and their representatives. The domestic industry which presented its views in the oral hearing was requested to file written submissions of the views expressed orally.

xvi) The submissions made by the domestic industry and other interested parties during the course of the investigation and considered relevant by the Authority have been examined and addressed in this investigation.

xvii) At the request of the Authority, the Central Government extended the time period to complete the investigations up to 20th December, 2014.

xviii) On the spot verification of the information and data submitted by the domestic industry was carried out to the extent deemed necessary.

xix) Information provided by the interested parties on confidential basis was examined by the Authority with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted, and such information has been considered confidential and not disclosed. Wherever possible, the interested parties were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.

xx) Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has recorded these essential facts on the basis of the 'facts available' and treated such parties as non-cooperative.

xxi) A Disclosure Statement containing the essential facts in this investigation which would have formed the basis of the Final Findings was issued to the interested parties on 21.10.2014. The post Disclosure Statement submissions received from the domestic industry and the opposing interested parties have been considered, to the extent found relevant, in this Final Findings Notification.

xxii) *** in this Final Findings Notification represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

xxiii) The exchange rate adopted for the POI is 1 US $ =Rs 53.69.

C. SCOPE OF PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

C.1 **Submissions by the Domestic Industry**

5. The following submissions have been made by the domestic industry:

i. The product being dumped in the Indian market is Pentaerythritol. Pentaerythritol is an organic compound. The term 'erythritol' indicates the presence of four hydroxyl groups, and the prefix 'penta' indicates that there are five carbon atoms in the molecule.

ii. Pentaerythritol can be produced using electrodialysis separation technology or fractional crystallization technology. There is no difference, however, in the product properties of the products produced through the two technologies. Pentaerythritol can be of technical grade or nitration grade. The principal difference in the two grades is in purity, crystal size and uniformity of crystals. Other than this, there is no other material difference between Technical Grade Pentaerythritol and Nitration Grade Pentaerythritol. Both the grades are produced out of the same process. Pentaerythritol having purity above 98% and better crystal formation can be used in the explosive industry and therefore, this grade has been designated as "Nitration Grade" in commercial parlance. However, Pentaerythritol considered as Nitration Grade can be used for production of Alkyd Resins and other products (where the other grade, "Technical Grade" Pentaerythritol, is used). Even though there is no major difference in the two grades, the two command some difference in the prices. Normally, nitration grade carries a higher price.

iii. The production process, however, largely results in production of Technical Grade. Less than 2% production results in nitration grade, while the production of Di-pentaerythritol is less than 0.5%. More than 97% production is of technical grade. Further, imports are primarily in technical grade. Di-Pentaerythritol and Pentaerythritol are two different kinds of products. Di-Pentaerythritol is beyond the scope of the product under consideration.

iv. Pentaerythritol finds application in manufacture of Alkyd Resin, Rosin Esters, Plasticizers, Printing Inks, Synthetic Rubber, Stabilizers for Plastics, Modified drying oils, Detonators, Explosives, Pharmaceuticals, Core oils and Synthetic Lubricants.

v. There is no known difference in the subject product produced by the domestic industry and the subject product exported from the subject country. Both have comparable characteristics in terms of parameters such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing, tariff classification, etc. The two are technically and commercially substitutable. The consumers have used and are using the two interchangeably.

vi. As far as the contention of the opposing interested parties that Pentaerythritol with purity above 98% should be kept beyond the scope of the product under consideration, it is contended that the domestic industry is producing and supplying Nitration grade and the same is being imported into India and, therefore, there is no justification for its exclusion. Majority of the demand for Nitration is being met by the domestic industry.

C.2 **Submissions made by the producers/exporters/other interested parties**

6. As the domestic industry is producing Pentaerythritol Nitration grade less than 2% only, it should be kept beyond the scope of the product under consideration. Nitration grade purity is above 98%. So, any Pentaerythritol with purity above 98% should be kept beyond the scope of the product under consideration. Mono Pentaerythritol Grade should also be kept beyond the scope of the product under consideration.

C.3 **Examination by the Authority**

7. The Authority has considered the submissions of the domestic industry and the opposing interested parties and proposes to conclude as under:

i. The product under consideration in the present investigation is Pentaerythritol. Pentaerythritol is an organic compound. The term "erythritol" indicates the presence of four hydroxyl groups, and the prefix "penta" indicates that there are five carbon atoms in the molecule. Pentaerythritol can be produced using electrodialysis separation technology or fractional

crystallization technology. There is no difference in the product properties produced through the two technologies. Pentaerythritol produced can be of technical grade or nitration grade. The principal difference in the two grades is in purity, crystal size and uniformity of crystals. Both the grades are produced out of the same process. Pentaerythritol having purity above 98% and better crystal formation can be used in the explosive industry and, therefore, this grade has been designated as "Nitration Grade" in commercial parlance. However, Pentaerythritol considered as "Nitration Grade" can be used for production of Alkyd Resins and other products (where the other grade "Technical Grade" Pentaerythritol is used). Production process, however, largely results in production of "Technical Grade". Less than 2% production results in nitration grade whereas the production of Di-Pentaerythritol is less than 0.5%. More than 97% production is of technical grade. Further, imports are primarily in technical grade. Di-Pentaerythritol and Pentaerythritol are two different kinds of products. Di-Pentaerythritol is beyond the scope of the product under consideration.

ii. As far as the contention of the opposing interested parties that as the domestic industry is producing Pentaerythritol Nitration grade less than 2% only, it should be kept beyond the scope of the product under consideration. Nitration grade purity is above 98%. So, any Pentaerythritol with purity above 98% should be kept beyond the scope of the product under consideration. The Authority notes that an examination of the documents provided by the domestic industry shows that Penta NG is 98% and the domestic industry is producing and selling Penta NG of 98% or more purity. Since the domestic industry is selling Penta of 98% or above purity, there is no justification for its exclusion.

iii. As far as the contention of the opposing interested parties that Mono Pentaerythritol Grade should also be kept beyond the scope of the product under consideration, the Authority notes that Mono Pentaerythritol has been included within the purview of anti dumping duties in the past as well. Moreover, none of the interested parties have justified the need for exclusion of either grade from the scope of product under consideration.

iv. The interested parties desired to know what is the crystal size & uniformity of crystals of Technical & Nitration Grade. The domestic industry clarified that Pentaerythritol produced can be of technical grade or nitration grade. The principal difference in the two grades is in purity, crystal size and uniformity of crystals. The Authority notes that technical grade and nitration grade have been included within the purview of anti dumping duties in the past as well. Moreover, none of the interested parties have justified the need for exclusion of either grade from the scope of product under consideration.

v. Pentaerythritol is mostly used in the manufacture of Alkyd Resins, Resin Esters, Plasticizers, Printing inks, Synthetic rubber, Stabilizers for plastics, Modified drying oils, Detonators, Explosives, Pharmaceuticals, and Core oils and Synthetic lubricants, etc. Pentaerythritol is classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975 under the Customs Code 29054200. However, Customs classification is indicative only and in no way binding on the scope of the investigation.

vi. With regard to the issue of Like Article, Rule 2(d) of the AD Rules defines like article as follows:

> *"an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has the characteristics closely resembling those of the articles under investigation"*

vii. The Authority has examined the matter and notes that there is no known difference in subject goods produced by the domestic industry and that imported into India from the subject country. The subject goods produced by the domestic industry and that imported from the subject country are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably. None of the opposing interested parties has raised any objection in this regard. In view of the same, the Authority holds the subject goods produced by the domestic industry are like article to the subject goods imported from the subject country in accordance with the Anti-dumping Rules.

D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

D.1 **Views of the Domestic Industry**

8. The Domestic Industry has made the following submissions with respect to the scope of domestic industry and standing:

I. The petitioner in the present investigation is Kanoria Chemicals & Industries Limited.

II. Apart from the petitioner, the product under consideration is being produced by Asian Paints (India) Ltd ("Asian Paints"). While Asian Paints manufactures the product under consideration, the company captively consumed 52% of its production of Pentaerythritol in 2011-12. The production of Asian Paints to the extent of captive consumption should not be included in the eligible production, as this production does not compete with the dumped material supplied by the foreign producers or sales made by the Indian producers.

III. Earlier, there was one more producer of the product under consideration, Perstorp Chemicals India (P) Ltd. ("Perstorp India"). However, Perstorp India has had no domestic production of the product since 2009-10.

IV. Neither Asian Paint nor Perstorp India can be considered eligible domestic industry.

V. The petitioner does not import the subject goods from the subject country. Further, it is not related to any exporter or importer of the subject goods from the subject country.

VI. For the purpose of standing, the petitioner has calculated Indian production both including and excluding captive consumption of Asian Paints. The production of the petitioner constitutes more than 70% of the total Indian production when captive consumption of Asian Paints is excluded and about 55% of the total Indian production when captive consumption of Asian Paints is included. Therefore, the petitioner constitutes domestic industry in both the cases.

VII. The petitioner had sufficient standing to file the petition on behalf of the Indian domestic industry for the product concerned.

VIII. The argument that the petitioner has no locus standi to file the complaint is without any basis and is against established law and practice in this regard. Domestic industry is defined under Rule 2(b) and the petitioner satisfies the same. In fact, interested parties themselves have claimed that the petitioner is the sole manufacturer of the product, which implies the petitioner is a domestic industry for the product under consideration.

D.2 Views of exporters/importers/users and other opposing interested parties

9. The complainant has no locus standi to file the complaint. The complainant is the sole manufacturer of Pentaeryhtritol in India and sells the subject goods in the open market in India. Hence, it does not qualify within the definition of the term "Industry" since it is the sole manufacturer for selling purposes in India.

D.3 Examination by the Authority

10. The Authority has examined the issue as under:

i. The Authority notes that Rule 2(b) of the Anti-dumping Rules provides as follows:

"(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are relate to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers"

ii. The petition was filed by Kanoria Chemicals & Industries Limited (hereinafter referred to as the "applicant"). The company is a producer of the product under consideration in India and has not imported the product from the subject country during investigation period. It is not related to any producer in the subject country or importer in India.

iii. Aside from the applicant, Asian Paints (India) Ltd. (hereinafter referred to as "Asian Paints") manufactures the like article in India. The applicant has claimed that the captive and merchant markets constitute two separate markets and that the dumped imports enter the latter. It has been claimed that captive producers do not compete with the dumped material to the extent of captive production. It has been further claimed that Perstorp Chemicals India (P) Ltd. (hereinafter referred to as "Perstorp India"), which has capacities for the production of Pentaerythritol, is not producing the product at present.

iv. The Authority notes that it is not necessary to determine whether or not Asian Paints is eligible to be included within the scope of domestic industry since the production of the applicant is sufficient to constitute a major proportion of total Indian production whether or not the captive production of Asian Paints is included. With respect to Perstorp India, it is noted that the company is not manufacturing the product during the period of investigation and so cannot be considered eligible to be included within the scope of domestic industry.

v. It is noted that the production of the applicant in the investigation period constituted 71.54% of Indian production when production for captive use was excluded. When captive production is included, the share of the applicant was 54.68%.

vi. After an examination of the issue, it is noted that the production of the applicant constitutes a major proportion in Indian production (both after including and excluding captive consumption by Asian Paints) and, therefore, the applicant has been treated as domestic industry within the meaning of the Rules. The Authority, after examining the facts, proposes to determine that the applicant constitutes domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the Anti-dumping Rules, and the petition satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 of the Rules.

ASSESSMENT OF DUMPING – METHODOLOGY AND PARAMETERS

E.1 Normal Value, Export Price and Dumping Margin

11. The Authority notes that none of the exporters/producers from Russia has responded to the initiation notification by filing exporter questionnaire in the manner and format prescribed. However, M/s. JSC Metafrax has made brief submissions.

E.2 Views of the domestic industry

12. JSC Metafax has not cooperated with the Authority in the form and manner prescribed. Mere submissions about prevailing prices in Russia or cost of production of the exporter are entirely meaningless unless the exporter files questionnaire response in the form and manner prescribed; and cooperated to verification of its data. The exporter has attempted to give impression that there was only one price for the product throughout the period. Format E enclosed with the costing information shows that the price of the product under consideration varied quite significantly in the present period of investigation, thus, clearly establishing absence of static price throughout the period.

Month	Quantity	NSR
	MT	Rs/MT
JAN-12	***	***
FEB-12	***	***
MAR-12	***	***
APR-12	***	***
MAY-12	***	***
JUN-12	***	***
JULY-12	***	***
AUG-12	***	***
SEP-12	***	***
OCT-12	***	***
NOV-12	***	***
DEC-12	***	***
Total	***	***

13. The selling price in Russian market cannot be accepted unless it is established that the same is above the cost of production in accordance with provisions of Annexure-1 to the Rules. This analysis of profitable sales is required to be made on invoice by invoice sales of the exporter in the domestic market of the exporting country. It is also relevant to point out that the cost of production is also required to be provided in a particular form and manner prescribed and the Designated Authority is required to satisfy itself that the cost of production claimed by the exporter is as per Accounting Standard of the exporting country and reasonably reflects the cost associated with production and sale of the product under consideration. In case, the company is a multi product company, elaborate investigation is required to ascertain whether cost assessments are reasonable and appropriate. It is widely known fact that determination of dumping margin for a cooperating exporter is an elaborate exercise, which the exporter has attempted to put under the carpet by substituting some negative numbers for selling price in Russia and cost of production of the exporter.

14. Since the exporter has not filed the questionnaire response in the form and manner prescribed and thus has not cooperated for verification of its data, the exporter is not entitled to claim its normal value or export price or dumping margin. In fact, the exporter cannot even claimed individual dumping margin without a complete questionnaire response. It is, thus, contended that the Authority cannot determine the dumping margin for JSC Metafax without questionnaire response.

15. None of the producers/ exporters in Russia has filed questionnaire response. The petitioner made efforts to get evidence of price of product concerned in the domestic market of Russia and to get evidence of price from published sources. However, it could not collect any information/evidence such as price lists or quotations of producers of subject goods in the domestic market of Russia due to lack of relevant information in public domain and, therefore, it has constructed the normal value in the case of imports from Russia based on the raw material prices and consumption norms of the domestic industry, prevailing price of power in Russia, estimates of conversion costs, selling, general & administrative expenses and reasonable profit margin.

E.3 Views of the exporters/importers/users and other opposing interested parties

16. M/s. JSC Metafrax has contended that their total production of Pentaerythritol in 2012 is 22,500 metric tons. Out of which approximately 10,500 metric tons is sold in domestic market and 12,000 metric tons are exported to 17 countries. The export of Pentaerythritol to India in 2012 is 1,275 metric tons which is only 10.6% of its total export of Pentaerythritol. The ex-factory cost of production of Pentaerythritol is 43,250.00 Ruble/metric ton. They have further contended that their sale of Pentaerythritol made in Russia is above the cost of production plus profit. The weighted average selling price of Penaterythritol in Russia is not below the weighted average cost of production during the normal years. The normal selling price of Pentaerythritol in Russia is Ruble 55,500.00 per metric ton. This includes cost of production, general and administrative expenses, profit and VAT of 18%.

17. The exporter has further contended that the export price of Pentaerythritol to India is Ruble 47,150.00 per metric ton during the year 2012. In no way, the export price of Pentaerythritol is less than the production cost. There is no dumping of Pentaerythritol done by the Russian manufacturers done into India.

18. It has been contended by the importers that the complainant has failed to furnish any evidence with regard to the price prevailing (normal price) in domestic market in Russia, so as to make out a case of dumping. More precisely, in the event of non availability of normal price and non comparison of normal value of the subject goods manufactured and sold in the domestic market in India, no case is made out.

E.4 Determination of Normal Value for producers and exporters

19. As provided under the law, the Authority is required to consider selling price of the product when meant for consumption in the domestic market of Russia for determining normal value in Russia. The applicant submitted that there is no evidence of actual selling price prevailing in the domestic market of Russia. None of the exporters in Russia has cooperated with the Authority with questionnaire response. The submissions made by M/s. JSC Metafrax in this regard are unsubstantiated. The Authority notes that in the absence of any response from any Russian producer in the form and manner prescribed, the normal value cannot be determined on the basis of questionnaire response of a producer in Russia. The Authority has, therefore, constructed normal value by considering international price of major raw material, Methanol, estimates of cost of production, duly adjusted to include selling, general & administrative costs and profits. The normal value so determined is in the dumping margin table below.

E.5 Determination of Export Price for producers and exporters

20. Since none of the exporters from subject country has responded to the Authority through complete and duly substantiated questionnaire response, the Authority has determined Export Price in respect of imports from Russia on the basis of best information available in accordance with Rule 6(8) of the AD Rules. The applicant has determined export price on the basis of imports of the product under consideration in India, as reported by IBIS, the data supplying agency. The Designated Authority has also got the transaction wise import data from the DGCIS. It is seen that the volumes and prices of imports reported by both DGCI&S and IBIS are comparable. The Designated Authority has considered the data received from DGCI&S and determined the export price considering all imports of the product under consideration in India. Price adjustments have been made on the basis of claims made by applicant domestic industry in view of non cooperation from the exporters from Russia. Export price so determined at ex-factory level is in the dumping margin table below.

E.6 DUMPING MARGIN

21. Considering the normal value and export price as determined above, the dumping margin determined is as follows. It is seen that the dumping margins are more than de-minimis and significant.

Dumping Margin Table

Normal Value	US$/MT	***
Export Price	US$/MT	***
Dumping Margin	US$/MT	***
Dumping Margin	%	***
Dumping Margin %	Range	30-40

F. ASSESSMENT OF INJURY AND EXAMINATION OF CAUSAL LINK

INJURY

F.1 **Views of the Domestic Industry**

22. The domestic industry has submitted that:

a) Demand has shown a largely continuous increasing trend both, including and excluding captive consumption.

b) Imports of the subject goods from Russia have increased significantly when compared with the base year. Imports from Saudi Arabia, against which anti-dumping investigation has been terminated on 8th November, 2013, and from Chinese Taipei, against which a sunset review investigation has been initiated by the Authority, have increased. The imports from other countries attracting anti-dumping duty (China PR and EU excluding Sweden) have declined in the POI.

c) There were no imports from Russia in 2009-10. The share of imports from Russia has increased considerably in terms of imports of the subject goods into India, and consumption and production in India in the POI when compared with 2010-11.

d) There has been significant price undercutting in the POI and the previous year.

e) Landed price of imports are substantially below the cost and selling price of the Domestic Industry. Whereas both cost of production and selling prices increased over the period, the increase in the selling price is less than the increase in the cost of production.

f) Though production has increased slightly, capacity utilization has declined in the POI. Domestic sales volume has declined from 2009-10 to the POI.

g) The market share of the domestic industry has declined with the increase in imports of the subject goods from Russia and other existing sources.

h) The domestic industry has been running into losses since 2009-10. Losses have been substantial in the POI. Imports are entering the Indian market much below costs. Per unit cost of sales has increased significantly in the POI when compared with the base year and the previous year. However, the cost of sales per unit of the product has exceeded the per unit selling price, considerably affecting profitability throughout the injury period.

i) The cash profits have severely declined over the period to the extent that cash losses have been reported since the base year. Return on Capital Employed has declined substantially in the period of investigation when compared with the base year.

j) Inventories with the domestic industry have increased in the POI when compared with the base year, and increased significantly when compared with the previous year.

k) The productivity of the domestic industry has been improving though the rate of increase in production has declined. However, in spite of increase in productivity, the domestic industry has suffered financial losses in the POI.

l) There are no other factors aside from dumping causing injury to the domestic industry. Aside from the subject country, imports are entering the country from certain other countries, but these are already subject to anti-dumping duties or investigations. Imports from any other country are below *de minimis*. Demand for the product has increased. There have been no changes in pattern of consumption,

technology, trade restrictive practices or conditions of competition that have caused the injury. The export performance of the domestic industry has not caused the injury claimed.

m) There is a causal link between dumped imports from Russia and the material injury being caused to the domestic industry since imports are undercutting the domestic industry's prices.

n) As far as the as the issue of demand supply gap is concerned, it is contended that though there was significant demand supply gap for the product, yet it is well understood practice and established principle that the demand supply gap does not imply that the anti dumping duty cannot be imposed.

o) As far as the argument that the petitioner has attempted to eliminate healthy competition from the market is concerned, the argument is just opposite to the position consistently advanced by the Authority that the purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti dumping measures would not restrict imports from the subject country in anyway and, therefore, would not affect the availability of the products to the consumers. Further, imposition of duty eliminates unfair trade practice and does not create the same.

p) As far as the argument that in the event of non availability of normal price and non comparison of normal value of the subject goods manufactured and sold in the domestic market in India, no case is made out, it is contended that the issue is well settled. The petitioner has given best available information. None of the producers from Russia has provided information in the form and manner prescribed. The interested parties have not been able to show that some information with regard to normal value in Russia was publically available and the same has been ignored by the petitioner.

q) Imports from Saudi Arabia are at a price higher than the import price from Russia. In any case, the investigation conducted by Authority in respect of Saudi Arabia clearly establishes that the imports from Saudi Arabia were at undumped prices. Further, in the absence of filing of the exporter's questionnaire response, the information provided by the petitioner has to be relied upon which clearly shows significant price undercutting being caused by Russian imports.

r) The Authority is required to consider the performance of the domestic industry in respect of product under consideration and not performance of all the products of the company. The information provided by the petitioner clearly shows significant deterioration in the performance of the domestic industry in respect of a number of vital injury parameters.

s) The price increases are required to be seen along with cost increases. It would be seen that increases in the price of the product are far lower than increases in the cost of production. These increases in cost of production are on account of increases in input cost and, therefore, it is legitimate expectation of the petitioner that it would increase its product price in proportion to the increase in cost of production. However, the petitioner has not been able to increase its price in proportion to the increase in cost of production, thus, leading to significant decline in profitability to a situation where petitioner is now suffering significant financial losses, cash loss and negative return on investment.

t) The argument that the import of subject goods from Russia into India is quite small as compared to the demand in India has no basis. Import price from Russia is undercutting the domestic price and, therefore, causing price form of the injury to the domestic industry.

u) Performance of the domestic industry deteriorated materially in respect of profits, cash flow and return on investment.

v) It would, thus, be seen that there is no substance in submissions of the interested parties made before the Authority. Further, in view of the above submissions, and submissions earlier made, domestic industry submits that the investigation has clearly established that:

i. Product under consideration is being exported to India at dumping prices from the subject country.

ii. Both dumping margin and injury margin in the POI are significantly positive.

iii. Domestic industry has suffered material injury as a result of dumping.

iv. Definitive anti dumping duties are required to be imposed in accordance with the dumping margin and injury margin.

v. The form of measure is required to be kept as fixed quantum.

F.2 **Views of the opposing interested parties**

23. The other interested parties have made the following submissions with respect to material injury to the domestic industry:

a) The complainant is having a production capacity of nearly 6,000 MT/ annum of the subject goods, whereas the industrial requirement in India is approximately 22000 MT/ annum. This leaves a huge gap between the demand and supply situation, having an impact on the commercial interests of the paint and resins industry.

b) The complainant has attempted to eliminate healthy competition from the market with respect to the subject goods and create its monopoly with regard to manufacture and sale of subject goods, which tantamount to anti-competitive and unfair trade practices.

c) Imports from Saudi Arabia and Russia are around the same price even though freight from Russia is much higher than Saudi Arabia. Moreover, the petitioner is also selling on same landed price in India, then how can it be called price undercutting.

d) There has been no significant price undercutting by the subject goods imported from Russia as compared to the price of the like article in India. The landed price of imports from Russia is not lower than the selling price of the domestic industry. Hence, there is no decline in the market share of the domestic industry. In fact, the market share of the domestic industry has been increasing constantly over the past few years.

e) As per the information available at the portal of moneycontrol.com, the net profit of so called "domestic industry" consisting exclusively of the complainant has shown considerable growth in sales, net profit and profitability. Hence, there is no impact on profits and return on investments of the domestic industry due to imports of subject goods from Russia.

f) The domestic industry has been able to substantially increase its prices. Paint industry is in bad shape due to increase in price of raw material.

g) The import of subject goods from Russia into India is quite small as compared to the demand in India.

h) Production, sales and capacity utilization of the complainant has shown substantial growth and improvement during the last 4 years. Similarly, profit before tax, cash profits and ROI of the complainant have shown a substantial growth during the last 4 years.

i) The plant of Pentaerythritol of the Domestic Industry is facing pollution problem. The pollution department is shutting the plant.

j) Reserve & Surplus, profit before tax from continuing operations / cash flow from operating activities, earning per share, profit before exceptional & extraordinary items & Tax, profit before extraordinary items & Tax, profit before Tax, profit for the year for the Domestic Industry in fact improved.

F.3 **Examination by the Authority**

24. In consideration of the various submissions made by the domestic industry and other opposing interested parties in this regard, the Authority proceeds to examine the current injury, if any, to the domestic industry.

25. Rule 11 of Antidumping Rules read with Annexure–II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, "…. taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles…." In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

26. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, stock, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the rules

supra.

27. For the purpose of current injury analysis, the Authority has examined the volume and price effects of dumped imports of the subject goods on the domestic industry and its effect on the prices and profitability to examine the existence of injury and causal links between the dumping and injury, if any. The Authority has examined injury to the domestic industry by considering information relating to M/s Kanoria Chemicals & Industries Ltd., constituting domestic industry under the Rules. Accordingly, the volume and price effect of dumped imports have been examined as follows:

F.4 **Volume Effect of dumped imports and Impact on domestic Industry**

a) Demand and Market Share

28. The Authority has determined demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales of the Indian producers and imports of the subject goods in India from all sources, both including and excluding captive consumption by Asian Paints. The demand so assessed can be seen in the tables below, both including and excluding captive production. It is seen that demand of the product under consideration in the country has increased up to 2011-12 and then declined slightly in the POI. However, the demand has increased during the POI as compared to the base year. Whereas the sales of the domestic industry have declined over the injury period, the imports of the subject goods from the subject country started in 2010-11 and have increased till POI.

Demand and Market Share in India (including captive consumption)

Description	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI*
Sales of Domestic Industry	MT	6,725	6,629	6,518	6,327
Sales of Other Indian Producers	MT	4,549	5,400	5,400	5,400
Imports – Chinese Taipei (SSR)	MT	2,507	1,223	1,641	1,895
Imports – Russia (on-going)	MT	0	300	900	1,153
Other countries attracting ADD	MT	7,643	5,700	4,524	1,908
Other countries	MT	1,167	6,362	7,784	10,001
Total Demand	MT	22,592	25,614	26,766	26,684
Market Share					
Domestic Industry	%	29.77	25.88	24.35	23.71
Other Indian Producers	%	20.14	21.08	20.17	20.24
Imports- Chinese Taipei (SSR)	%	11.10	4.77	6.13	7.10
Imports – Russia (on-going)	%	-	1.17	3.36	4.32
Other countries attracting ADD	%	33.83	22.25	16.90	7.15
Other countries	%	5.16	24.84	29.08	37.48

**POI – January 2012-December 2012.*

Demand and Market Share in India (excluding captive consumption)

Description	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI*
Sales of Domestic Industry	MT	6,725	6,629	6,518	6,327
Sales of Other Indian Producers	MT	2,125	2,509	2,592	2,592
Imports – Chinese Taipei (SSR)	MT	2,507	1,223	1,641	1,895
Imports – Russia (on-going)	MT	0	300	900	1,153
Other countries attracting ADD	MT	7,643	5,700	4,524	1,908
Other countries	MT	1,167	6,362	7,784	10,001

Total Demand	MT	20,168	22,723	23,958	23,876
Market Share					
Domestic Industry	%	33.35	29.17	27.20	26.50
Other Indian Producers	%	10.54	11.04	10.82	10.86
Imports – Chinese Taipei (SSR)	%	12.43	5.38	6.85	7.94
Imports – Russia (on-going)	%	-	1.32	3.76	4.83
Other countries attracting ADD	%	37.90	25.08	18.88	7.99
Other countries	%	5.78	28.00	32.49	41.89

**POI – January 2012-December 2012.*

b) Import volumes and market shares

29. With regard to volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports either in absolute terms or relative to production or consumption in India. Volume of imports and imports in relation to production and consumption in India are given in the table below:

Import Volume	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI*
Russia	MT	-	300	900	1,153
Trend	*Indexed*	-	*100*	*300*	*384*
Chinese Taipei	MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	100	49	65	76
Other countries attracting ADD	MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	100	75	59	25
Other countries	MT	1,167	6,362	7,784	10,001
Trend	*Indexed*	100	545	667	857
Total Imports	MT	11,317	13,585	14,849	14,957
Imports from Russia in relation to:					
Total Imports	%	-	2.21	6.06	7.71
Consumption (including captive consumption)	%	-	1.17	3.36	4.32
Consumption (excluding captive consumption)	%	-	1.32	3.76	4.83
Production (including captive consumption)	%	-	2.53	7.56	9.68
Production (excluding captive consumption)	%	-	3.34	9.89	12.66

**POI – January 2012-December 2012*

30. The Authority notes that imports of the subject goods from Russia began in 2010-11, and have increased till POI. The share of imports from Russia has increased in relation to total imports into India, and also in relation to apparent

demand/consumption in India and total production in India. The Authority further notes that though the percentage of imports itself is not high, it has increased over the injury period.

F.5 **Price Effect of the Dumped imports on the Domestic Industry**

a) Price Undercutting and Price Underselling

31. The impact on the prices of the domestic industry on account of imports of the subject goods from the subject country has been examined with reference to price undercutting, price underselling, price suppression and price depression. For the purpose of this analysis, the cost of production, net sales realization (NSR) and the non-injurious price (NIP) of subject goods of the domestic industry have been compared with landed value of imports from the subject country. A comparison for subject goods during the period of investigation was made between the landed value of dumped imports and the domestic selling price in the domestic market. In determining the net sales realization of the domestic industry, taxes, rebates, discounts and commission offered by the domestic industry have been adjusted. The price underselling is an important indicator of assessment of injury and, thus, the Authority has worked out a non-injurious price and compared the same with the landed value to arrive at the extent of price underselling. The non-injurious price has been evaluated for the domestic industry by appropriately considering the cost of production for the product under consideration during the POI. The position is as follows:

Particulars	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Landed price of import	Rs/MT	-	69,850	81,759	97,513
Trend	*Indexed*		*100*	*117*	*140*
NSR of domestic industry	Rs/MT	-	***	***	***
Trend	*Indexed*		*100*	*124*	*141*
Price undercutting amount	Rs/MT	-	***	***	***
Trend	*Indexed*		*100*	*322*	*185*
Price undercutting %	%	-	***	***	***
Price undercutting %	Range	-	0-10%	5-15%	0-10%

Price Underselling

Non-injurious Price of DI	Rs/MT	***
Landed Value	Rs/MT	***
Price Underselling	Rs/MT	***
Price Underselling	%	***
Price Underselling	% Range	20-30

32. The Authority notes from the above that the landed prices of the subject goods were below the selling price of the domestic industry showing price undercutting being caused by the dumped imports from Russia. It is further noted that the landed price of imports from Russia is less than the non-injurious price of the domestic industry, thereby, resulting in price underselling.

b) Price Suppression and Depression

33. To examine the price suppression and depression effects of the dumped imports on the domestic prices, the trend of net sales realization of the domestic industry has been compared with the cost of sales. The given data shows that the domestic industry's selling price has remained below its cost of sales throughout the injury period, signifying existence of

price suppression effect. The trends in this regard are summarized below:

Description	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Cost of Sales	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	-	*100*	*117*	*141*
Selling Price	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	-	*100*	*122*	*139*
Landed price of imports	Rs/MT	-	69,850	81,759	97,513
Trend		-	*100*	*117*	*140*

34. The Authority notes that the selling price of the subject good of domestic industry during the injury period has increased. However, the increase is not in the same proportionate to that of cost of sales over the same period. Further, the selling price of the domestic industry remains below the cost of sales throughout the injury period. The landed price of imports from the subject country during the injury period has also increased. However, the increase in landed price is far lower than the increase in the cost and selling price. Further, the landed price of imports is below the cost of sales and net sales realization throughout the injury period. Therefore, it is noted that dumped imports are suppressing the prices of domestic industry in the domestic market.

F.6 **Impact on Economic Parameters of the Domestic Industry**

35. Annexure II to the Anti-dumping Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of these imports on domestic producers of such products, the Anti-dumping Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.

36. Various injury parameters relating to the domestic industry are discussed herein below.

a) Capacity, Production, Capacity Utilization and Sales

37. Information on capacity, production, capacity utilization and sales volumes of the domestic industry has been as under:

Particulars	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Installed Capacity	MT	6,000	6,000	7,000	7,000
Production-PUC	MT	***	***	***	***
Trend		*100*	*100*	*101*	*101*
Production-NPUC	MT	***	***	***	***
Total Production	MT	***	***	***	***
Trend		*100*	*100*	*101*	*101*
Capacity Utilization	%	108	109	94	94
Trend		*100*	*100*	*86*	*86*
Domestic Sales Volume	MT	6,725	6,629	6,518	6,327
Trend		*100*	*99*	*97*	*94*

38. The Authority notes that the capacity of the product concerned was enhanced by the domestic industry in 2011-12.

The volume of production has increased slightly over the injury period. The capacity utilization has fallen in 2011-12 and the POI with the increase in capacity.

39. It is noted that the sales volume of the domestic industry has declined over the injury period despite increase in demand.

b) Profits, Return on Capital Employed and Cash Profit

40. The profits, return on investment and cash profit of the domestic industry have been examined as under:

Particulars	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Cost of Sales	Rs./MT	***	***	***	***
Trend		*100*	*111*	*130*	*157*
Selling Price	Rs/MT	***	***	***	***
Trend		*100*	*106*	*129*	*147*
Profit/ Loss per unit	Rs./MT	***	***	***	***
Trend		*(100)*	*(258)*	*(154)*	*(427)*
Profit/ Loss	Rs.Lacs	***	***	***	***
Trend		*(100)*	*(255)*	*(150)*	*(402)*
PBIT	Rs.Lacs	***	***	***	***
Trend		*(100)*	*(221)*	*(126)*	*(359)*
Cash Profit	Rs.Lacs	***	***	***	***
Trend		*(100)*	*(410)*	*(205)*	*(707)*
Return on Capital Employed (NFA basis)	%	***	***	***	***
Trend		*(100)*	*(273)*	*(121)*	*(265)*

41. The Authority notes from the above as under:

(i) Both the selling price and cost of sales of the domestic industry increased over the injury period. However, the increase in cost of sales of the domestic industry was much higher than the increase in the selling price.

(ii)Profitability was negative throughout the injury period. Profitability was significantly adverse in the period of investigation.

(iii) Profits, cash profits, profit before interest & tax and return on capital employed, all followed the same trend as that of profitability. All these parameters were negative during the entire injury period.

(iv) It is clear that the domestic industry has been suffering continued injury in terms of profit-related parameters. The position of the industry with respect to these parameters has deteriorated substantially in the period of investigation as a result of dumping from fresh sources in addition to existing sources.

c) Employment and Wages

42. The status of employment levels and wages of the domestic industry has been as under:

Description	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Employment	Nos.	67	67	67	67
Salary and Wages	Rs. Lacs	***	***	***	***

43. It is noted from the above that the employment level remained constant over the injury period. This is despite increase in capacity and production. Salary and wages increased over the injury period.

d) Productivity

44. The productivity of the domestic industry is given in the following table.

Description	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Productivity Per Employee	MT	97.10	97.51	97.91	97.92
Productivity Per Day	MT	18.59	18.67	18.74	18.75

45. The Authority notes that the productivity per employee and productivity per day remained at the same level over the injury period.

e) Inventories

46. The Authority has examined the inventory level of the domestic industry which is given in the table below.

Description	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Average Stock	MT	***	***	***	***
Trend		*100*	*30*	*1*	*112*

47. It is noted from the above table that the inventory of the domestic industry declined till 2011-12 and increased substantially in the period of investigation. Further, it has increased in the period of investigation in relation to the base year.

f) Magnitude of Dumping

48. Magnitude of dumping as an indicator of the extent to which the dumped imports can cause injury to the domestic industry shows that the dumping margin determined by the Authority against the subject country in the POI is above *de-minimis* and significant.

g) Ability to raise capital

49. The applicant has argued that given the current state of affairs where the product is consistently not performing well because of persistent dumping, any fresh investment is not envisaged. However, the Authority notes that the ability to raise capital investment in the event of dumping is not relevant since the domestic industry is a multi-product industry.

h) Growth

50. With regard to the growth of the domestic industry, the position is as under:

Particulars	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Production	%	-	0.43	0.42	0.13
Domestic Sales	%	-	-1.43	-1.68	-2.93
Inventory	%	-	-69.81	-95.32	7,826
Profit per MT	%	-	-158	40	-177
Return on Investment (NFA)	%	-	-7.37	6.48	-6.14

51. The Authority notes that the domestic industry has shown negative growth in terms of profit and return on capital employed despite anti dumping duty being in force and revised upwards. The Authority notes that though the production of the domestic industry increased over the injury period, yet the magnitude of increase in production has declined over the period. Domestic sales have declined. Inventories first declined and then increased substantially in the period of investigation. Overall growth of the domestic industry over the injury period was adverse.

i) Factors Affecting Domestic Prices

52. The examination of the import prices from the subject country and other countries, change in the cost structure,

competition in the domestic market, factors other than dumped imports that might be affecting the prices of the domestic industry in the domestic market shows that without antidumping duty, the landed value of the subject goods imported from the subject country is below the selling price and the non-injurious price of the domestic industry, causing significant price undercutting as well as price underselling, both with and without anti-dumping duty, in the Indian market. It is also noted that the demand for the subject goods was showing significant increase during the POI and, therefore, it could not have been a factor affecting domestic prices. Thus, the principal factor affecting the domestic prices is landed value of subject goods from the subject country and other dumping countries.

F.7 **Other Known Factors and Causal Link**

53. The Authority has examined whether other known factors could have caused injury to the domestic industry as follows:

(a) Contraction in demand and / or change in the pattern of consumption

54. The Authority notes that demand for the product has grown over the injury period, except a slight decline in the POI. However, demand for the product under consideration has increased in the POI as compared to the base year. Hence, a decline in demand cannot be causing injury to the domestic industry. Further, the Authority has found no evidence of a change in the pattern of consumption of the product.

(b) Volume and Prices of imports not sold at dumped prices

55. The Authority notes that apart from the subject country, imports of the subject goods from EU (excluding Sweden) and China are attracting anti dumping duties. The Authority had initiated an anti-dumping investigation in respect of imports from Saudi Arabia, which have been terminated by the Authority as the margin of dumping determined by the Authority for the only exporter in Saudi Arabia was de-minimis. Further, the Authority had initiated an SSR investigation on imports originating in or exporter from Chinese Taipei in which the Authority has recommended to the Central Government for imposition of anti dumping duty vide its Final Findings dated 16.10.2014. As regards the imports from all other countries, the Authority notes that the volume of imports is de-minimis.

(c) Trade restrictive practices of and competition between foreign and domestic producers

56. The Authority notes that the subject goods are freely importable and there are no trade restrictive practices in the domestic market. Further there is no perceptible competition among the domestic producers, except that is obvious of a market economy. It is noted that there is a single market for the subject goods where dumped imports from the subject country compete directly with the subject goods supplied by the domestic industry. It is also noted that the imported subject goods and domestically produced goods are like articles and are used for similar applications/end uses. There is no evidence of trade restrictive practices of and competition between the foreign producers and domestic producers causing injury to the domestic industry.

(d) Developments in Technology

57. The Authority notes that there are no developments in technology with respect to the product or its manufacture that could have resulted in the injury caused to the domestic industry.

(e) Export performance

58. The Authority notes that the domestic industry does export the product. However, the exports in 2011-12 became nil and remained less in the POI in comparison to the base year. However, information relating to injury has been examined separately for domestic operations to the extent possible. Any deterioration in the export performance of the domestic industry is, therefore, not a possible cause of the injury.

Particulars	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Exports by the Domestic Industry	MT	20	40	-	10

(f) Productivity of the domestic industry

59. The Authority notes that productivity of the domestic industry has increased slightly over the period in accordance with the increase in production. Hence, a decline in productivity cannot be a cause for the injury.

(g) Performance of other products

60. The Authority notes that the performance of other products being produced and sold by the domestic industry is not a possible cause of the injury found since all parameters were examined with respect to the like article in this investigation.

61. The Authority notes that while the known other factors listed above do not appear to have caused the injury determined, the following parameters show that injury to the domestic industry has been caused by the dumped imports.

a. The volume of imports from the subject country has increased since they commenced in 2010-11.

b. Imports of the subject goods from the subject country are undercutting the domestic industry prices and also causing price suppression.

c. Domestic sales of the product have declined over the injury period despite increase in demand.

F.8 **Conclusion on Injury and Causation**

62. The Authority notes that there has been an increase in the volume of dumped imports from the subject country in absolute terms and relative to apparent consumption and production in India, though the share of imports from the subject country is not very high. Production of the domestic industry has increased, but sales have declined over the period. Profit-related parameters of the domestic industry have all been significantly adverse. Inventories have been significant. They declined until the previous year and then increased substantially in the period of investigation.

63. The Authority notes that the domestic industry was suffering injury on account of dumping of the subject goods from other countries even before imports from Russia commenced. There have been investigations conducted and duties imposed on these imports. However, due to the price undercutting and price suppression specifically found in this investigation, it is clear that imports from the subject country are causing injury to the domestic industry.

F. 9 **Magnitude of injury and injury margin**

64. The Authority has determined the non-injurious price for the domestic industry, taking into consideration the cost of production of the domestic industry. This non-injurious price of the domestic industry has been compared with the landed value of the subject goods' imports from the subject country to determine the injury margin. The injury margin has been worked out as follows:

Injury Margin

Particular	US $ /MT
Exchange Rate	53.69
Non Injurious Price (NIP)	***
Landed Price	***
Injury Margin	***
Injury Margin %	***
Injury Margin % Range	20-30

65. It is noted that the level of injury margin, as determined, is considered significant.

G. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES

66. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject country/territory in any way, and, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.

67. It is recognized that the imposition of anti-dumping duties might affect the price levels of the product manufactured using the subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of this product. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti-dumping measures, particularly if the levy of the anti-dumping duty is restricted to an amount necessary to redress the injury to the domestic industry. On the contrary, imposition of anti-dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, would prevent the decline in the performance of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods.

H. POST DISCLOSURE STATEMENT SUBMISSIONS BY THE INTERESTED PARTIES

H.1 **Post Disclosure Statement submissions by the opposing Interested Parties**

68. Following are in brief the post Disclosure Statement submissions made by the opposing interested parties:

A. Metafrax, Russia

(i) Enough time was not given to file detailed reply as per required performa considering communication problem and language issues due to very long distance. Detailed reply was not accepted by the Authority when submitted.
(ii) Time given for comments to disclosure is short.
(iii) Looking at Indo-Russia trade relation, due consideration may be given to submissions by Metafrax.
(iv) Kanoria caters to only 27% of demand and wants to create artificial shortage of the product.
(v) Share of Russia is not more than 5% and landed price is higher than local selling price in India.

B. INDIAN PAINT & COATING ASSOCIATION

(i) Most of the paint consumers are importing due to quality issues as Kanoria offers 95% product while all imported products are 98% on a cheaper price.
(ii) Even if anti dumping duty is imposed, Kanoria will be not be able to fulfill entire demand.
(iii) Kanoria is not upgrading quality and quantity to become cost effective. It is trying for a monopolistic situation with anti dumping duty on a number of countries. With the imposition of anti dumping duty on the only country left, thousands of small & medium scale manufacturers would suffer due to this additional cost in their raw material.
(iv) Asian Paints is also importing huge quantity instead of buying from Kanoria due to quality and pricing issues.
(v) Association was not given a fair chance to represent their case even when the association was registered within the time period for filing objection.

C. SANDEEP ORGANICS PVT LTD, MUMBAI

(i) JSC Metafrax has dumped Penta in India in large and regular quantity. There should be anti dumping duty imposed on it.
(ii) Before calculating anti dumping duty, current US$ to INR exchange rate and profit of Aarya Enterprise, UAE (Exporter) and RMF Chemicals, Switzerland (Manufacturer/ Producer JSC Metafrax, Russia Export House/ Sister Company/ Agent) should be considered.
(iii) CFR prices of Penta were in the range of 1600-1700.
(iv) Penta from Russia is exported in 2 purity levels – 95-96% and 98-99%.
(v) COA of domestic/ local manufacturer and Russia should be compared.

D. BHARAT SOLVENT & CHEMICAL CORP

(i) Response to initiation was filed on 31.7.2013 and detailed response to questionnaire on 19.9.2013. However, the Authority has not taken into account the submissions made by the interested party.
(ii) Total output of Kanoria is merely 23.71% of demand (excluding captive consumption). It is legally wrong to give it the status of domestic industry.
(iii) There is gross devaluation of Indian Rupee in the international market during POI. Even the position of Ruble vs Indian Rupee has strengthened.
(iv) The burden of proof regarding dumping lies on the complainant. No evidence of normal value has been given by the petitioner. Information submitted by Matafrax was rejected on flimsy grounds that it is not submitted in the prescribed proforma.
(v) Export price stated in the complaint is unrealistic and not based on market research reports.
(vi) Demand of Penta in India is higher than production capacity of Kanoria.
(vii) There is no injury to petitioner due to imports from Russia as their financial statement shows profits in the POI.
(viii) Kanoria has recently expanded capacity for production of Penta at Vishakhapatnam. This has reduced the overall accounting cost factor and reduced profit in short term only.
(ix) Increase in price of methanol has increased the cost of production of domestic industry.
(x) Wrong management decisions and policies of the alleged domestic company have further aggrieved the condition.
(xi) Domestic industry has not provided demarcation of loss suffered on domestic sales.
(xii) Price underselling claims are exaggerated by assuming 22% return on capital employed.
(xiii) Domestic industry has not included income from sale of by-product, Sodium Formate, to offset losses.
(xiv) There is scarcity of Penta in the country. Asian Paints has also imported.
(xv) The import of Penta from Russia is far less than import from other countries such as Sweden and Saudi Arabia.
(xvi) There is increase in sales of other producers and demand. Comparatively decrease in sales of Kanoria shows that imports from Russia has no effect on the domestic industry.
(xvii) If sales of domestic industry have declined then why capacity has been expanded.
(xviii) Data given by Kanoria is incorrect because in the case against EU, the sale in 2009-10 is stated to be 6778MT whereas in this complaint it is stated to be 6327MT.

H.2 Post Disclosure Statement submissions by the Domestic Industry

69. Following are in brief the post Disclosure Statement submissions made by the domestic industry:

(i) Non-injurious price may be re-determined considering actual cost of production.

(ii) Product under consideration is exported to India below its normal value resulting in dumping from the subject country.

(iii) Both dumping margin and injury margin in the Period of Investigation are significant and positive from the subject country.

(iv) Domestic Industry has suffered material injury.

(v) The anti dumping duty is required to be imposed definitively in fixed form and the duty expressed in US$ terms.

G.3 **Examination by the Authority**

70. The Authority has addressed these issues to the extent considered relevant as under:

(i) As regards the contention that enough time was not given to file detailed reply, the Authority notes that the Anti Dumping Agreement or Indian rules do not provide for additional time because of communication problem and language issues or distance involved.

(ii) It is incorrect that reply given by Metafrax was not accepted/considered by the Authority. The Authority has in fact duly considered the submissions made by Metafrax in the present Findings.

(iii) The Authority notes that while rules envisaged no minimum time that should be allowed by the Authority for the purpose of comments to Disclosure Statement. It is noted that in any case, Metafrax has not demanded additional time for filing comments to Disclosure Statement. Thus, the contention that enough time has not been given to offer comments to Disclosure Statement cannot be accepted.

(iv) The Authority has given due consideration to the submissions made by Metafrax. Each and every submissions made by Metafrax has been carefully considered and evaluated while rendering these Findings.

(v) The Authority notes that a number of interested parties have contended that the domestic industry cannot meet complete demand of the product in the country. While it is true that the domestic industry cannot meet complete demand of the product in the country, the Authority has not recommended any ban on imports, nor imposition of anti dumping duties shall prevent a party from importing the product or an exporter to sell the product.

(vi) As regards the contention of Metafrax that share of Russia is not more than 5%, the Authority notes that the rules with regard to negligibility provide negligibility in the context of imports of the product from the country under investigation and its share in total imports. Imports from Russia during relevant period were 7.7% of total imports in India which is clearly significantly beyond negligible limits provided under the law.

(vii) Metafrax has contended that landed price of import from Russia is higher than the local selling price in India. The Authority however notes that the information on record clearly shows that landed price of import from Russia is lower than selling price of the domestic industry in India.

(viii) Indian Paint & Coating Association has contended that most of the paint consumers are importing due to quality issues. Kanoria offers 95% purity product while all imported products are 98% and at a lower price. It is, however, noted that the claim is unsubstantiated. Further, sales invoices and product specifications provided by the petitioner shows that it produces and supplies product having 98% purity. It is also noted that there have been a number of investigations concerning the product under consideration and in none of the investigations in the past, either a consumer or the association has established a quantified material difference in quality or specifications. The investigation has shown that the goods produced by the domestic industry are technically and commercially substitutable to the goods imported from Russia and other countries.

(ix) The Authority notes that purpose of anti dumping is not to create monopolistic situations. The purpose is to address the unfair situations created by the dumping practices. Further, it is noted that anti dumping duties have been imposed on the product under consideration on different countries. However, the Association has not provided any quantified and verifiable information showing that thousands of small & medium scale manufacturers suffered due to this additional cost in their raw material. It is, thus, concluded that the contention that thousands of small & medium scale manufacturers suffered due to this additional cost in their raw material is wholly unsubstantiated and unverifiable.

(x) It has also been contended that Asian Paints is also importing huge quantity instead of buying from Kanoria due to quality and pricing issues. It is, however, noted that Asian Paint has not made any such argument and has not provided any documentary evidence to establish the same. On the contrary, petitioner domestic industry has provided documentary evidences showing sales being made to Asian Paint over the period. Further, the information provided by the domestic industry shows that their sales to Asian Paints have not shown material decline.

(xi) Indian Paint & Coating Association has contended that the Association was not given a fair chance to represent their case even when the association was registered within the time period for filing objection. The Authority notes in this regard that the Association cannot plead ignorance about the present investigations. The Authority has given ample opportunity to all interested parties to provide relevant information to present their views.

(xii) While Metafrax has contended that the company has not resorted to dumping, Sandeep Organics Pvt Ltd, Mumbai, has mentioned that JSC Metafrax has dumped Penta in India in large and regular quantity and there should be anti dumping duty imposed on it.

(xiii) As regards the contention with regard to that the Authority should consider current exchange rate and expense and profit of exporting companies, the Authority notes that the Authority considers exchange rate prevailing during the period of investigation. It would not be appropriate to consider current exchange rate selectively for the import price. It is without any basis to assume that only exchange rate has changed over the period and all other parameters have remained the same.

(xiv) As regards claims for price adjustments, the Authority notes that any such adjustment is feasible only when response to questionnaire has been filed by the exporter concerned. Moreover, the authority notes that any such adjustment would at the least increase the dumping margin.

(xv) Sandeep Organics Pvt Ltd, Mumbai contended that there is one more exporter of Penta which was not sent letters by DA. It is, however, clarified that the Designated Authority has issued public notice.

(xvi) Sandeep Organics Pvt Ltd, Mumbai stated that 3 names were given by Aarya Enterprises in their letter to Designated Authority and the same are not mentioned in the disclosure statement. The Authority however notes that the Authority has taken care of all the submissions made by Sandeep Organics Pvt Ltd, Mumbai.

(xvii) The Authority notes that Sandeep Organics Pvt Ltd has stated that CFR prices of Penta were in the range of 1600-1700. The export price considered by the Authority is also in the same region. However, since the company Aarya Enterprise, UAE has not filed response to questionnaire in the form and manner prescribed, in any case, the Authority is not in a position to determine individual dumping margin.

(xviii) Bharat Solvent also contended that since output of Kanoria is merely 23.71% of demand (excluding captive consumption), it is legally wrong to give it the status of domestic industry. The Authority however notes that Rule 2(b) provides that "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers. In the instant case, the investigation shows that production of petitioner constitutes a major proportion in Indian production. The Authority notes that consideration of petitioner share in Indian demand is not appropriate in determining the scope of domestic industry, as the rules require the authority to consider major proportion on the basis of Indian production.

(xix) A number of interested parties have contended that US$ has significantly appreciated after the period of investigation. The authority notes that it would not be appropriate to selectively consider US$ in the recent period. The Authority fixed a period for detailed investigation and it would not be appropriate to selectively consider parameters prevailing at present. Significant changes in any of the parameters leading to the present determination in a subsequent period require a review to be undertaken which can be considered under Rule 23 as per the law.

(xx) Bharat Solvent contended that the burden of proof regarding dumping lies on the complainant and no evidence of normal value has been given by the petitioner. Bharat Solvent has also contended that information submitted by Matafrax was rejected on flimsy grounds that it is not submitted in the prescribed proforma. The Authority holds that the petitioner had discharged its initial burden of proof with regard to existence of dumping. It was now for the exporters to file information in the form and manners prescribed and establish that they did not export at a price below normal value. However, none of the Russia manufacturers have filed questionnaire response in the form and manner prescribed and therefore dumping margin could not be determined on the basis of questionnaire

response of such companies. With regard to the contention that information submitted by Matafrax was rejected on flimsy grounds that it is not submitted in the prescribed proforma, the Authority notes that response to questionnaire cannot be accepted unless the same is in the prescribed formats. There are material gaps in the response filed by Matafrax and the information contained therein is grossly insufficient to determine dumping margin on the basis of the same.

(xxi) Bharat Solvent contended that export price stated in the petition is unrealistic and not based on market research reports. It is noted that the export price has been determined on the basis of IBIS and, therefore, the same is sufficient for the present purposes.

(xxii) Some of the interested parties have contended that the petitioner has earned profits in the period of investigation. The investigation has however shown that the petitioner has suffered financial losses in the product under consideration in the period of investigation. It is noted in this regard that petitioner has earned significant crores in the period of investigation on account of sale of its caustic soda plant, which is clearly not relevant for the present purposes.

(xxiii) It has been contended that petitioner has recently expanded capacity for production of Penta at Vishakhapatnam, which has reduced the profits. It is, however, noted that no capacity expansion has been undertaken by the company at Vishakhapatnam. The expansion in capacity has taken place at Ankleshwar and the same has been considered in the present determination. As regards allegation of decline in profit due to capacity expansion, the Authority determined profits after eliminating additional cost in the new plant. The data still shows that domestic industry has suffered significant financial losses.

(xxiv) Some interested parties contended that price of methanol has increased the cost of production of domestic industry. The Authority considers whatever be the reason for increase in cost of production, the rule requires Authority to determine whether the effect of dumped imports is to depress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred to a significant degree. It is seen in this regard that the selling price of the domestic industry has increased much less than the increase in the cost of production. The imports are suppressing the prices of the domestic industry in the market.

(xxv) Some interested parties contended that the adverse performance of the domestic industry is due to wrong management decisions and policies of the domestic company. These interested parties have however not quantified how wrong management decisions and policies of the domestic company has resulted in deterioration in performance. Further, the investigation has not shown that decline in performance is due to wrong management decisions and policies of the domestic company.

(xxvi) Some of the interested parties have contended that domestic industry has not provided profit/loss in domestic sales. It is, however, clarified that profit/loss has been considered only in respect of domestic operations.

(xxvii) It has been contended that price underselling claims are exaggerated by assuming 22% return on capital employed. It is however, seen that even if return on capital employed is not considered and only cost of production of the domestic industry is considered, the data clearly establishes existence of significant price underselling. The landed price of imports is below cost of production of the domestic industry.

(xxviii) It has been contended that domestic industry has not included income from sale of by-product, Sodium Formate, to offset losses. It is clarified that profit/loss and NIP has been determined after deducting sale value of Sodium Formate.

(xxix) It has also been contended that there is scarcity of Penta in the country and Asian Paints has also imported. The Authority notes that the present petition and proposed anti dumping duty is not intended to ban the imports in the country.

(xxx) It has been contended that import of Penta from Russia is far less than import from other countries such as Sweden and Saudi Arabia. It is, however, noted that import from Russia were NIL in 2009-10 and 300 MT in 2010-11. Imports increased to almost four times in period of investigation as compared to 2010-11. Further, imports from Russia constituted 4.32% of demand in India. It is also noted that import price from Russia on an average basis were lower than the import price from other countries not attracting anti dumping duties.

(xxxi) It has been contended that there is increase in sales of other producers and demand and decrease in sales of Kanoria shows that imports from Russia has no effect on the domestic industry. It is, however, noted that market share of domestic industry and other producers declined. Moreover, the primary injury in the present case is in the form of adverse price effect of imports on the domestic industry. Performance of the domestic industry deteriorated in respect of profits, cash profits and return on investments. It has also been contended that if sales of domestic industry have declined then

why capacity has been expanded. It is, however, noted that the capacity additions by the domestic industry are far lower than the present and potential demand of the product in the country. It does not appear a situation where injury to the domestic industry has occurred due to capacity additions.

(xxxii) As regards the contention about incorrectness in the data of sales, it is clarified that 6778 MT was annualized sale of the domestic industry in POI (April 2009 – June 2010) in the EU case. 6327 MT is the sale of the domestic industry in POI (Jan – Dec 2012) of the present case. Actual sale of the domestic industry in 2009-10 is 6725 MT.

I. CONCLUSION

71. After examining the submissions made by the opposing interested parties and the domestic industry and issues raised therein; and considering the facts available on record, the Authority concludes that the product under consideration has been exported to India from the subject country below its associated normal value, thus, resulting in dumping of the product. The domestic industry has suffered material injury in respect of the subject goods. The material injury has been caused by the dumped imports from the subject country.

J. RECOMMENDATIONS

72. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspects of dumping, injury and the causal link. Having initiated and conducted investigation into dumping, injury and the causal link thereof in terms of the AD Rules and having established positive dumping margins as well as material injury to the domestic industry caused by such dumped imports, the Authority is of the view that imposition of definitive anti dumping duty is required to offset dumping and consequent injury. Therefore, the Authority considers it necessary to recommend imposition of definitive anti-dumping duty on imports of the subject goods from the subject country in the form and manner described hereunder.

73. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of definitive anti-dumping duty equal to the lesser of the margin of dumping and the margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, definitive antidumping duty as per amount specified in the table below is recommended to be imposed from the date of the Notification to be issued by the Central Government, on all imports of the subject goods originating in or exported from the subject country.

Duty Table

S. No	Heading	Description of goods	Specifi-cation	Country of origin	Country of export	Producer	Exporter	Duty amount	Unit of measur-ement	Currency
1	2905 42	Pentaerythritol	Any grade	Russia	Russia	Any	Any	474	MT	US$
2	2905 42	Pentaerythritol	Any grade	Russia	Any	Any	Any	474	MT	US$
3	2905 42	Pentaerythritol	Any grade	Any	Russia	Any	Any	474	MT	US$

74. Landed value of imports for the purpose of this Notification shall be the assessable value as determined by the Customs under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and includes all duties of customs except duties under sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the said Act.

75. An appeal against the order of the Central Government arising out of this findings notification shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act.

J K DADOO, Designated Authority

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.